निकाह और फ़िज़ूल ख़र्ची

मुअल्लिफ़

डा० आज़म बेग क़ादरी

निकाह और फ़िज़ूल ख़र्ची

मुअल्लिफ़

डा० आज़म बेग क़ादरी

9897626182

नाम किताब- निकाह और फ़िज़ूल ख़र्ची

मुअल्लिफ़- डा० आज़म बेग क़ादरी सफ़वी

इशाअ़त- मई-**2026 (1447)** हिजरी

कम्पोज़िंग- अमन & ज़ैनुल आ़बदीन
9897626182
9045442223

ISBN-NO- 978-93-5773-042-6

क़ीमत-**150** रुपये

फ़ेहरिस्त मज़ामीन

–: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम :–

अल्हम्दु लिल्लाहि नह्मदुहू व नस्तईनुहू व नस्तग़फ़िरुहु वनुअ़मिनू बिही व नतावक्कलू अ़लैहि व नाऊज़ूबिल्लाहि मिन शुरुरि अ़न फुसिना वमिन सय्यिआति आअ़मलिना मंई युदलिलहु फ़ला हादियालहू वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अ़ब्दुहू व रसूलुहू।

तमाम खूबियाँ और ताअ़रीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह तआ़ाला के लिये हैं जो तमाम कायनात का एक अकेला मालिक व ख़ालिक़ है कि जिसने अपनी रह़मत और मेहरबानी की चादर से अपने बन्दों को ढाँप रखा है जिसने कायनात की तख़लीक़ो तरतीब को हुस्नो जमाल बख़्शा जो दिलो के पोशीदा राज़ो पर मुत्तलाअ़ है जो तमाम ह़िकमतों व ग़ैबों का जानने वाला है कायनात का कोई ऐसा ज़र्रा नहीं जो उसकी ह़म्द व सना न करता हो और हर शैः उसके ताबेअ़ व क़ब्ज़े कुदरत में है जो अपनी बढ़ाई और बुलन्दी में यकता है

उसका कोई शरीक नहीं जो नेअ़मतें व रिज़्क़ अ़ता करने वाला, हिदायत देने वाला, हिफ़ाज़त करने वाला, बड़ा बख़्शने वाला निहायत मेहरबान व करीम है और जो अव्वल है किसी शैः से उसकी इब्तिदा नहीं हुई वो किसी शैः से मिलकर नहीं बना और वो लाज़वाल है वो हर ऐ़ब से पाक है वो शह रग़ से भी ज़्यादा क़रीब तर है शक्लो सूरत में हर शैः से बईद तर है उसके बन्दों का कोई लम्हा उससे मख़्फ़ी नहीं इंतिहाई तारीक रात में भी ज़मीनो आसमान की जुमला अशिया उससे पोशीदा नहीं, बहुत सी आवाज़ों का जमाअ़ होना उसे–

परेशान व हैरान नहीं कर सकता मुख़्तलिफ़ ज़बानों का सुनना उसको किसी एक से मशगूल नहीं करता और जो बग़ैर आज़ा के सबकी सुनता है और वो कायनात की हर शैः का अ़ालिम है और वो हय्युल क़य्यूम ज़ात है तमाम आसमान व ज़मीन पर उसी की बादशाहत है और वो अ़र्शे अ़ज़ीम का मालिक है।

दुरुदो सलाम हो रहमते दो अ़ालम (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) पर जो ज़ाहिर व बातिन में तय्यब व ताहिर हैं जो तमाम ऐ़बो नक़ाइस से पाक उ़लूमे ग़ैब के जानने वाले हैं जिन्हें अल्लाह तअ़ाला ने नूर व हिदायत के साथ मबऊ़स फ़रमाया जिनके नूर से दो अ़ालम में उजाला है जिन्होंने इन्सान को गुमराहियों के अंधेरों से निकालकर राहे हिदायत और राहे निजात दिखाई अल्लाह तअ़ाला ने जिन्हें कौसर अ़ता की जिस पर क़यामत के दिन प्यासे मोमिन आयेंगे और सैराब होकर जायेंगे और अल्लाह तअ़ाला ने अपने हबीब को औसाफ़ो अख़लाक़ में बुलन्द और बे मिस्ल और तमाम अम्बियाकिराम अ़लैहिमुस्सलाम का सरदार बनाया और अपने नूर से हुजूरे पाक के जिस्मे अत्‌हर को तख़लीक़ किया जिनका ज़ाहिर व बातिन सब नूर है।

अल्लाह तअ़ाला की बेशुमार रहमत व सलामती हो अह्‌ले बैत अत्‌हार पर जो दीन की हिफ़ाज़त और बक़ा के लिये कुरबान हो गये जो क़यामत के दिन मुहिब्बाने अह्‌ले बैत की निजात का ज़रिया होंगे और हर आफ़तो मुसीबत के दरमियान ढाल होंगे और रहमत व सलामती हो आपकी अज़वाजे मुताह्‌रात और आपकी आल व असहाब और जुमला औलिया किराम व सूफ़िया इ़ज़ाम और उन पर जो अल्लाह के मुक़र्रब मख़सूस बन्दे हैं।

–: तम्हीद :–

निकाह मर्द व औ़रत के लिये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से एक बड़ी अ़ज़ीम नेअ़मत है निकाह के ज़रिये एक पाकीज़ा रिश्ता क़ायम होता है और निकाह मर्दों व औ़रतों की निगाहों व शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने में मदद करता है और ज़िना व ज़िना से वाबस्ता बुराइयों व गुनाहों के इरतिकाब से तहफ़्फ़ुज़ का बाइस है और इससे नरमी व शफ़क़त और मुहब्बत के जज़बात पैदा होते हैं और शादी के बाद मर्द व औ़रत अपने अपने हुक़ूक़ व ज़िम्मेदारी की अदायगी को सहीह तरीक़े से अन्जाम दे पाते हैं और शादी के बाद मियाँ बीवी का रिश्ता–ए–ज़ोजियत निहायत मज़बूत हो जाता है और मुआ़शरती ज़िन्दगी में तक़वियत आती है और ज़ोजैन को पाक दामनी और नफ़्सानी राहत व सुकून हासिल होता है और कुरान और अहादीस में निकाह की बड़ी अहमियत व फ़ज़ीलत और तर्ग़ीब बयान की गई है

मगर अफ़सोस आज कल शादी ब्याह में जाहिलाना व ग़ैर शरअ़ई और शैतानियत के उमूर कसरत से राइज हो चुके हैं और ख़िलाफ़े शरअ़ व खुराफ़ात और ग़ैर मुस्लिमों के तरीक़े शामिल हो गये हैं जो कि निहायत मज़मूम और सरीह गुनाह हैं और हमारे उ़ल्मा ये सब देखकर भी ख़मोश हैं उन्हें तो बस मजलिसे निकाह में खाना पीना और निकाह पढ़ाना व नज़राना लेने से ही मतलब है काश अगर हमारे सब उ़ल्मा ख़िलाफ़े शरअ़ कामों पर आवाज़ बुलन्द करते और कुरानो सुन्नत की रौशनी में उन सब कामों से लोगों को रोकते तो नौबत इस हद तक न पहुँचती और लोग गुनाहों के कामों से

बचते और शादी के मुताअ़ल्लिक़ तमाम उमूर अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक़ अन्जाम देते शादी ब्याह में ऐसी रस्मों और रिवाजों को शामिल कर लिया गया है कि जिनका शरीअ़त में कोई वुजूद ही नहीं है किसी भी सुन्नत अ़मल में इतनी बुराइयाँ नहीं हैं जितनी निकाह में शामिल हैं मसलन बारात में लोगों का कसीर ताअ़दाद में शिर्कत करना, नाच गाना, व डी० जे० पर बेहूदा और फुहश कलाम पर मबनी गानों का बजना आतिश बाज़ी और हद से ज़्यादा सज धज कर और बन संवर कर बेपर्दा औ़रतों का नुमायश करना और ग़ैर महरम मर्दों से औ़रतों का हंसी मज़ाक और गुफ़्तगू जूता चुराई व दूल्हा भाती की रस्में और खड़े होकर जानवरों की तरह खाना पीना और मढ़े की फ़िजूल रस्में व दूल्हे का मेंहदी लगाना व सोना पहनना और खाने पीने की कई अक़साम की सूरत में और शादी ब्याह के दीगर कामों में भी निहायत फ़िजूल ख़र्ची करना वग़ैराह शामिल हो गया है

जिस शादी में तमाम उमूर कुरानो सुन्नत के मुताबिक़ अन्जाम दिये जायें तो अल्लाह तआ़ला उस शादी में अपना फ़ज़्लो करम और बरकत अ़ता फ़रमाता है और जो शादी ब्याह कुरान व सुन्नत के ख़िलाफ़ जाहिलाना व ग़ैर शरअ़ई और शैतानियत के कामों पर मुश्तमिल होती है उस शादी में अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्लो करम और बरकत नहीं होती बल्कि अल्लाह तआ़ला नाराज़ व ग़ज़बनाक होता है पस शादी के सब उमूर अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक़ करें और तमाम ख़िलाफ़े शरअ़ उमूर से इजतिनाब करें।

फ़क़ीर

डा० आज़म बेग क़ादरी

–: निकाह की अहमियत व अहकाम :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

तो जो औ़रतें तुम्हें पसन्द हों उनसे निकाह करलो दो दो तीन तीन चार चार से फिर अगर तुम्हें अंदेशा हो कि तुम उनमें इन्साफ़ न कर सकोगे तो सिर्फ़ एक ही काफ़ी है या वो कनीज़ें जो (शरअ़न) तुम्हारी मिल्कियत में आयीं हों ये बात उससे क़रीब तर है कि तुमसे (ना इन्साफ़ी और) जुल्म न हो। (सूरह–निसा–04/03)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और तुम अपने मर्दों और औ़रतों में से उनका निकाह कर दिया करो जो (उ़म्रे निकाह के बावुजूद) बे निकाह हों और अपने बा सलाहियत गुलामों और बांदियों का भी (निकाह कर दिया करो) अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से उन्हें ग़नी कर देगा और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुसअ़त वाला है बड़े इ़ल्म वाला है। (सूरह–नूर–24/32)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और पाक दामन मुसलमान औ़रतें और उन लोगों में से पाक दामन औ़रतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी (वो तुम्हारे लिये हलाल हैं) जबकि तुम उन्हें उनके महर अदा करदो बा शर्ते ये कि तुम उनसे बा क़ायदा निकाह करो ये नहीं कि तुम एअ़लानियाँ ज़िना करो या पोशीदा बदकारी करो और जो शख़्स (अहकामे इलाही पर) ईमान लाने से इन्कार करे तो उसका सारा अ़मल बर्बाद हो गया और वो आख़िरत में भी नुक़सान उठाने वालों में से होगा। (सूरह–मायदा–05/05)

इरशादे बारी तआ़ला हैः-
और तुम हरगिज़ इस बात की ताक़त नहीं रखते कि (एक से ज़ायद) बीवियों के दरमियान (पूरा पूरा) इंसाफ़ कर सको अगरचा तुम कितना भी चाहो चुनांचा तुम बिल्कुल (एक की तरफ़) पूरी तरह न झुक जाओ कि तुम उस (दूसरी को) दरमियान में लटकती हुयी चीज़ की तरह छोड़ दो और अगर तुम इस्लाह करलो और (हक़ तल्फ़ी व ज़्यादती से) बचते रहो तो अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला निहायत मेहरबान है।
(सूरह-निसा-4/129)

➡ रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो पसन्द करे मेरी फ़ितरत को वो मेरी सुन्नत पर चले और मेरी सुन्नत निकाह भी है। (अबू यआ़ला-अल मुस्नद-2/609-ह०-2740)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि निकाह किया करो इसलिये कि मैं तुम्हारी कसरत पर फ़ख़्र करूँगा।
(इब्ने माजा-सुनन-2/23-ह०-1863)

अगर अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक़ शादी के तमाम उमूर अन्जाम दिये जायें तो अल्लाह तआ़ला ज़ौजेन पर अपना फ़ज़्लो करम और अपनी मदद व नुसरत और बरकत अ़ता फ़रमाता है जिसके सबब ज़ौजेन को बेशुमार दुनियावी व उख़रवी फ़वाइद हासिल होते हैं इन्सान निकाह के ज़रिये पाक दामनी हासिल करता और उसकी शहवत का ज़ोर भी कम हो जाता है और वो ज़िना व बदकारी से महफ़ूज़

हो जाता है और इसके ज़रिये से वो अपने निस्फ़ दीन को महफ़ूज़ कर लेता है इसके सबब उसे नेक औ़लाद का हुसूल होता है और नेक औलाद उसकी मग़फिरत का ज़रिया बनती है नेक औ़लाद बीमारी और बुढ़ापे में उसका सहारा बनती है और इन्सान के दिल में रहम व शफ़क़त और सिला रहमी पैदा होती है और कम उ़मरी में जो बच्चे फ़ौत हो जाते वो रोज़े क़यामत उन की शफ़ाअ़त का ज़रिया बनते और इससे इन्सान की जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील होती है और बेटियों की अच्छी ताअ़लीमो तरबियत के सबब उनके वालिदैन को अल्लाह तआ़ाला जन्नत व उसकी दायमी नेअ़मतें अ़ता फ़रमायेगा मगर ये सब कुछ तब है कि जब शादी के तमाम उमूर कुरानो सुन्नत के मुताबिक़ अ़मल में लाये जायें और ख़िलाफ़े शरअ़ उमूर तर्क कर दिये जायें।

निकाह करना रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) की सुन्नत है मगर इससे वाबस्ता जुमला उमूर अगर सुन्नत के मुताबिक़ अ़मल में लाये जायें तो सहीह माअ़ने में सुन्नत पर मुकम्म्ल अ़मल होगा वरना वो सुन्नत नहीं कहलायेगा बल्कि वो सुन्नत का एक नाक़िस जुज़ कहलायेगा या फिर रस्मो रिवाज का अ़मल कहलायेगा और वो इसलिये कि आज हमारे मुआ़शरे की हालत ये है कि दौराने निकाह भी सुन्नत के मुताबिक़ अ़मल नहीं होता जैसा कि हम सब देखते हैं कि मजलिसे निकाह में मर्दों व औ़रतों का एक साथ जमाअ़ होना जो कि सख़्त हराम है और निकाह होने के बाद आतिश बाज़ी और औ़रतों का एल ई डी की स्क्रीन पर दिखाना वग़ैराह ये सब अ़मल ख़िलाफ़े शरअ़ और गुनाह व नाजाइज़ और हराम हैं क्या रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि वसल्लम) के निकाह करने

का तरीक़ा यही था हरगिज़ नहीं तो जब तक मुकम्मल सुन्नत पर अ़मल न हो तो उसे सुन्नत नहीं कहा जा सकता बल्कि जिस फ़ेअ़ल में जिसका तरीक़ा इख़्तियार किया जाये तो उसको उसी के तरीक़े पर मौसूम किया जायेगा चुनांचा शादी ब्याह से मुताअ़ल्लिक़ तमाम काम अगर ख़िलाफ़े शरअ़ व ग़ैर शरअ़ई उमूर पर मुश्तमिल हों तो उन्हें हरगिज़ अ़मले सुन्नत नहीं कहा जा सकता अगर हम शादी के तमाम कामों को सुन्नत के मुताबिक़ करें तब शादी सुन्नते रसूल पर मुश्तमिल होगी वरना ख़िलाफ़े शरअ़ और जाहलियत व शैतानियत पर मबनी होगी और हम इस बात पर ग़ौरो फ़िक्र करें कि हमारे यहाँ जब किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो कितने काम सुन्नत के मुताबिक़ अन्जाम पाते हैं ये हमें खुद माअ़लूम हो जायेगा बल्कि हक़ीक़त ये है कि हम सुन्नत का ढिंढोरा पीटते हैं और काम जाहलियत और शैतानियत के करते हैं दाअ़वा रसूलुल्लाह की गुलामी का करते हैं और इत्तेबाअ़ नफ़्स व शैतान की करते हैं

हम सब अल्लाह तआ़ला की बन्दे और गुलाम हैं वो हमारा मालिके हक़ीक़ी और हम सब का पर‘वर दिगार है और हर चीज़ उसी से माँगते हैं वो ही अ़ता करता है और अल्लाह तआ़ला हर चीज़ से बे नियाज़ है हम सब उसके मोहताज हैं ये सब जानते व मानते हुये भी हम उसकी इताअ़त नहीं करते बल्कि उसकी नाफ़रमानी करके उसे नाराज़ करते और अपने नफ़्स व शैतान व लोगों को खुश करके अपनी हलाकत का खुद ही सबब बनते हैं तो हम अल्लाह तआ़ला के कैसे बन्दे हैं क्या हमें ज़रा सी भी शर्मो हया नहीं आती कि जो हमें सब कुछ अ़ता करे उसी की नाफ़रमानी या हम सिर्फ़ लोगों में दिखावा करते हैं और सारे काम अल्लाह तआ़ला व

उसके रसूल के हुक्म के ख़िलाफ़ करते हैं तो क्या ये निफ़ाक़ की दलील नहीं कि अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल को नाराज़ करके लोगों को खुश करना, ख़िलाफ़े शरअ़ काम करना ये किसी मुसलमान व साहिबे ईमान का काम नहीं हो सकता।

बड़ी ग़ौर तलब बात है कि हम जिस लड़के या लड़की की शादी करते हैं तो वो लड़का या लड़की हमें किसने अ़ता की तो जवाब होगा अल्लाह तआ़ला ने और जो माल हम ख़र्च करते हैं वो माल हमें किसने दिया तो तो जवाब होगा अल्लाह तआ़ला ने तो जब सब कुछ अल्लाह तआ़ला ने ही अ़ता किया है तो हम पर उसके हुक्म के मुताबिक़ ही शादी से मुताअ़ल्लिक़ सारे काम अन्जाम देना हम पर हक़ और वाजिब था ताकि हम उसके शुक्र गुज़ार बन्दे होने का हक़ अदा करते और उसे खुश व राज़ी करते मगर आज हालात इसके बर अ़क्स हैं कि लोगों को खुश और राज़ी करने के लिये और अपनी ताअ़रीफ़, वाहवाही और शोहरत व चर्चा के लिये सब काम अन्जाम दिये जा रहे हैं चाहे अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल नाराज़ हो तो हो जायें उन्हें कोई फ़र्क़ नहीं पड़ता बस लोग खुश हो जायें व लोगों में उनकी ताअ़रीफ़ हो जिससे उनका नफ़्स राहत और सुकून पाये शादी ब्याह व दीगर तक़ारीब के मौक़ेअ़ पर बेपर्दगी और बेहयाई का इतना बुरा हाल है कि मानो उनके दिलों में ज़र्रा बराबर ख़ौफ़े खुदा नहीं और हुक्मे इलाही से बेफ़िक्री और बेपर'वाही है कि एक लम्हे के लिये भी अल्लाह तआ़ला के ग़ज़ब और उसके अ़ज़ाब का ख़्याल भी नहीं आता मर्द औ़रतें एक साथ खा पी रहे हैं दूल्हा भाती की रस्म जिसमें लड़कियाँ ग़ैर महरम लड़कों से हंसी मज़ाक करते हैं और मजलिसे निकाह–

में डी० जे० पर बेहूदा गानो पर लड़के लड़कियाँ नाचते हैं बाअ़ज़ जगहों पर देखा गया कि बैंड बाजों के साथ लड़के लड़कियाँ साथ साथ नाचते गाते और झूमते हैं हमने इस मुआ़मले में ग़ैर मुस्लिमों को भी पीछे छोड़ दिया है हम कितने ना फ़रमान हैं कि अल्लाह तआ़ला को सख़्त नाराज़ करके खुशी का इज़हार करते हैं पस हमें चाहिये कि हर हाल में अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल की इताअ़त और सुन्नत तरीके़ पर अ़मल करते हुये शादी व दीगर तक़ारीब के कामों को अन्जाम दें ताकि वो हमारे लिये बाइसे रहमत व बरकत हो और अच्छी नीयत के साथ निकाह करें ताकि हमारी शादी शुदा ज़िन्दगी बेहतर व खुशहाल और नफ़ाअ़ बख़्श हो और शरअ़ई अहकामात पर गामज़न रहते हुये अपनी तमाम ज़िन्दगी गुज़ारें।

निकाह बाइसे रहमत व इत्मीनान और अल्लाह तआ़ला की नेअ़मत है

इरशादे बारी तआ़ला हैः-
और ये भी उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिये तुम्हारी ही जिन्स से जोड़े पैदा किये ताकि तुम उनकी तरफ़ सुकून पाओ और उसने तुम्हारे दरमियान मुहब्बत और रहमत पैदा कर दी बेशक इस (निज़ामे तख़लीक़) में उन लोगों के लिये निशानियाँ हैं जो ग़ौरो फ़िक्र करते हैं। (सूरह-रुम-30/21)

इरशादे बारी तआ़ला हैः-
और वही (अल्लाह) है जिसने तुमको एक जान से पैदा फ़रमाया और उसी में से उसका जोड़ा बनाया ताकि उससे वो सुकून हासिल करे। (सूरह-आअ़राफ़-7/189)

इरशादे बारी तआ़ला हैः-

और अल्लाह तआ़ला ने तुम्हारे लिये जोड़े पैदा फ़रमाये और तुम्हारे जोड़ों (यानी बीवियों) से तुम्हारे लिये बेटे व पोते और नवासे पैदा फ़रमाये व तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अ़ता फ़रमाया। (सूरह-नहल-16/72)

अल्लाह तआ़ला ने नस्ले इन्सानी को आगे बढ़ाने के लिये और मर्दों व औ़रतों को बाहमी पुर सुकून ज़िन्दगी जीने और जिन्सी ख़्वाहिशात की तकमील और फितरी जज़्बात की तस्कीन के लिये जो बेहतरीन व खूबसूरत निज़ाम निकाह की सूरत में बनाया वो बेमिस्ल और बे नज़ीर है निकाह इन्सान को बा इ़ज़्ज़त बनाता है और दिलों को राहत व सुकून देता और निगाहों को हया व शर्मगाहों को पाक दामनी और नफ़्सी शहवत को पूरा करता और खुशहाल बेहतर ज़िन्दगी देता और अल्लाह तआ़ला निकाह के ज़रिये एक बेहतरीन रफ़ीक़े सफ़रे जिन्दगी अ़ता करता और ज़ौजेन के दिलों को मुहब्बत व रहमत के पाकीज़ा और मज़बूत तआ़ल्लुक़ से जोड़ता कि दौनों एक दूसरे के बग़ैर नाक़िस होते हैं जो शादी शरअ़ई अहकामात और सुन्नत के मुताबिक़ हो तो उस के करने वाले अज्रो सवाब के मुस्तहिक़ और सआ़दत मंदी और कामयाबी हासिल करने वालों में से हैं और जो ख़्वाहिशाते नफ़्स की तकमील और लोगों के दिखाने और अपनी ताअ़रीफ़ व इ़ज़्ज़त और शोहरत पाने की ग़रज़ से ख़िलाफ़े शरअ़ कामों को करते हैं उन्हें ज़िल्लत व रुसवाई और हलाकत के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होता और आख़िरत में वो सख़्त अ़ज़ाब में गिरफ़्तार किये जायेंगे इसलिये शादी व दीगर तक़रीब को शरअ़ई अहकाम के मुताबिक़ करें ताकि दुनिया व आख़िरत में सआ़दत मंदी व कामयाबी व कामरानी से बहरेयाब हों

जिन्सी ख़्वाहिशात दीगर ख़्वाहिशात से ज़्यादा सख़्त तर होती है और ख़्वाहिश अपनी तकमील के लिये ख़्वाहिश करने वाले शख़्स से बार बार कहती है फिर अगर उस ख़्वाहिश की तकमील न हो तो इन्सान की हालत बेचैन और बेक़रार रहती है जो उसे ज़िना और बदकारी की तरफ़ माइल करती है और बाअ़ज़ औक़ात वो ज़िना कर बैठता है और वो गुनाह का मुरतकिब हो जाता है इसलिये निकाह अल्लाह तबारक व तअ़ाला की तरफ़ से हमारे लिये एक अ़ज़ीम नेअ़मत है जिसके सबब से जिस्म को राहत व सुकून मयस्सर आता है और नफ़्स की बेचैनी को तस्कीन हासिल होती है जो नज़र व शर्म गाह को तहफ़्फ़ुज़ देती है फिर वो ज़िना और बदकारी के कामों को करने से रुक जाता है क्योंकि निकाह ही ऐसा अम्र है जो शहवत को मार देता है और ज़िना व बदकारी करने से रोक देता है।

इस्लाम में निकाह बहुत आसान और नफ़अ़ बख़्श है मगर जाहलियत व शैतानियत के रस्मो रिवाज़ ने इसे बहुत दुश्वार व गुनाह और बुराइयों का मजमुआ बना दिया अब तो शादी ब्याह व दीगर तक़ारीबों पर मर्दानी महफ़िलों का इनइक़ाद किया जाता है जिसमें बाज़ारी फ़ाहिशा अ़ौरतें डी० जे० की धुन और बेहूदा और गन्दे गानों की तर्ज पर गातीं और नाचती हैं और लोग भी उन अ़ौरतों के साथ नाचते हैं इन लोगों ने बेहयाई व बेशर्मी की सारी हदें पार कर दीं हैं और ऐसी महफिलों को एहतिमाम करने वाले इस अ़ज़ीम गुनाह और उसके अ़ज़ाब से बे फ़िक्र और बे पर‘वाह रहते हैं मानो जैसे उन्हें मरना ही न हो खुशी के इस मौक़ेअ़ पर वो खुशी के नशे में इतने मस्त हो जाते कि अल्लाह तअ़ाला व उसके रसूल के अहकाम व गुनाहों के सबब मिलने वाले

अ़ज़ाब भूल जाते हैं उन्हें तो बस जब कोई मुसीबत या बीमारी पहुँचती है या उनके घर में कोई फ़ौत हो जाता है तब अल्लाह तआ़ला याद आता है काश अगर हर वक़्त अल्लाह तआ़ला के क़रीब होने का तसव्वुर रखा जाये तो बन्दे का हाल बदल जायेगा।

–: निकाह की तर्ग़ीब और फ़ज़ीलत :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और अल्लाह तआ़ला ने तुमही में से तुम्हारे लिये जोड़े पैदा फ़रमाये और तुम्हारे जोड़ों (याअ़नी बीवियों) से तुम्हारे लिये बेटे व पोते और नवासे पैदा फ़रमाये और तुम्हें पाकीज़ा रिज़्क़ अ़ता फ़रमाया तो क्या फिर भी वो (हक़ को छोड़कर) बातिल पर ईमान रखते हैं और अल्लाह तआ़ला की नेअ़मत से वो ना शुक्री करते हैं। (सूरह–नहल–16/72)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और ऐसे लोगों को पाक दामनी इख़्तियार करना चाहिये जो निकाह (की इस्तिताअ़त) नहीं पाते यहाँ तक कि अल्लाह तआ़ला उन्हें अपने फ़ज़्ज से ग़नी फ़रमादे। (सूरह–नूर–24/33)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया ऐ नौजवानों के गिरोह तुम में से जो शख़्स निकाह करने की ताक़त रखता हो वो निकाह करले क्योंकि निकाह नज़र को ज़्यादा नीची रखता है और शर्मगाह की ज़्यादा हिफ़ाज़त करता है और तुम में से जो निकाह की ताक़त नहीं–

रखता तो वो रोज़े रखे क्योंकि रोज़ा उसकी शहवत को क़ताअ़ करता है (मुस्लिम–सहीह–3/29–ह०-3398, 3400)
(बुख़ारी–सहीह–2/398–ह०-2105, 5065, 5066)
(इब्ने माजा–सुनन–2/15–ह०-1845)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/596–ह०-1081)
(अबू दाऊद–सुनन–2/567–ह०-2046)
(नसाई–सुनन–5/119–ह०-3208, 2241, 2242, 43, 44, 45)
(इब्ने अबी शैबा–5/32–ह०-16155)
(कंज़ुल उ़म्माल–8/517–ह०-44406)

➡ हज़रत माअ़किल बिन यसार (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया ऐसी औ़रतों से शादी करो जो बहुत मुहब्बत करने वाली और बहुत बच्चे जनने वाली हों बिला शुबा रोज़े क़यामत अम्बिया के सामने मैं तुम्हारी कसरत से दीगर उम्मतों पर फ़ख़्र करूँगा। (अबू दाऊद–सुनन–2/567–ह०-2050)
(इब्ने हिब्बान–सहीह–5/103–ह०-4028)

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुज़ूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो ये चाहता हो कि वो अल्लाह तआ़ला की बारगाह में पाको साफ़ हाज़िर हो तो वो आज़ाद औ़रतों से शादी करे।
(इब्ने माजा–सुनन–2/23–ह०-1862)

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुज़ूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जिस शख़्स ने निकाह किया तो उसने अपना आधा ईमान मुकम्मल कर लिया

और बाक़ी आधे के मुताअ़ल्लिक़ अल्लाह तआ़ला से डरे। (तबरानी–मुअ़जम औसत–5/702–ह०-7647, 8794)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/648–ह०-988)
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–4/310–ह०-5486)

➡ हज़रत जाबिर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया तुममें से कोई शख़्स जब शादी करता है तो उसका शैतान वावीला मचा देता है और कहता है कि हाय अफ़सोस इब्ने आदम ने मुझसे अपना दो तिहाई दीन बचा लिया।
(कंजुल उ़म्माल–8/521–ह०-44454)

मर्द व औ़रत के अज़वाजी रिश्ते में ज़हनी व क़ल्बी सुकून का ज़रिया निकाह है इससे बाहमी ज़िन्दगी पुर सुकून होती है ज़ौजेन के दरमियान एक ऐसा मज़बूत रिश्ता क़ायम होता कि वो दोंनों एक दूसरे से मुहब्बत करते और एक दूसरे का सहारा बनते इसलिये बेहतर ज़ोज (शौहर) के इन्तिख़ाब के लिये हम सिर्फ़ ये देखें कि मर्द दीनदार व अच्छे अख़लाक़ वाला हो व अपने ख़ानदान (बीवी बच्चों) की कफ़ालत का अह्ल हो इसी तरह ज़ोजा (बीवी) के इन्तिख़ाब के लिये हम सिर्फ़ ये देखें कि औ़रत दीनदार और बाअख़लाक़ और नेक हो क्योंकि नेक औ़रत को दुनिया की बेहतरीन मताअ़ कहा गया औलाद की इब्तिदाई दर्सगाह माँ ही होती है अगर औ़रत नेक होगी तो औलाद की ताअ़लीम व तरबियत भी बेहतर होगी और औलाद भी नेक व दीनदार और अच्छे अख़लाक़ वाली होगी इसलिये मज़कूरा बातों पर ग़ौर करते हुये नेक सीरत दीनदार ज़ौजेन का इन्तिख़ाब करें और निकाह को आसान बनायें और शादी के सब

कामों को सुन्नत तरीक़े के मुताबिक़ अन्जाम दें गुनाह और ख़िलाफ़े शरअ़ कामों से बचने की हत्तल इमकान कोशिश करें अक्सर ये देखा जाता है कि लोग शादी के कार्ड पर ये लिखवा देते हैं 'अन निकाहु मिन सुन्नति' इसके अ़लावा शादी कार्ड पर लिखे अशआ़र में एक जुमला ये भी होता है कि 'मैं सुन्नत अदा कर रहा हूँ' इक़रार सुन्नत का करते हैं मगर एक काम भी सुन्नत के मुताबिक़ नहीं करते बल्कि वो ख़िलाफ़े सुन्नत और जाहिलयत और शैतानियत के काम करते हैं ऐसे लोग गुनाहों के मुरतकिब और अल्लाह तआ़ला की नाराज़गी का बाइस बनते हैं ऐसे लोगों के मुताअ़ल्लिक़ अल्लाह तआ़ला फ़रमाता है–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

ऐ ईमान वालो तुम वो बातें क्यों कहते हो कि जो तुम करते नहीं अल्लाह तआ़ला के नज़दीक ये निहायत ही सख़्त नाराज़गी की बात है कि तुम वो बात कहो जो खुद नहीं करते। (सूरह–सफ़–61/2, 3)

अक्सर लड़का और उसके घर वाले सोने की अंगुठी और सोने की चैन लड़की के घर वालों से माँगते हैं जबकि इस्लाम में मर्द को सोना पहनना हराम है और जहेज़ में मुतफ़र्रिक़ अशिया की माँग करते हैं जबकि जहेज़ में किसी क़िस्म की कोई चीज़ माँगना जाइज़ ही नहीं चुनांचा अगर कोई शख़्स अपनी बेटी को अपनी हैसियत के मुताबिक़ जो कुछ देना चाहे तो दे सकता है इसमें कोई क़बाहत नहीं लेकिन उन तमाम अशिया का मालिकाना हक़ सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़की का होता है जो उसे उसके घर वाले देते हैं लेकिन किसी से जहेज़ व दीगर चीज़ों का मुतालबा करना नाजाइज़ व गुनाह है।

एक और बेहूदगी इजाद हुई है जो शादी ब्याह के मौक़े पर देखने को मिलती है कि हल्दी वाले दिन से घरों के बाहर व अन्दर तेज़ आवाज़ में डी० जे० पर बेहूदा व फुहश और गन्दे गन्दे गाने बजाये जाते हैं जिसमें मर्द व अ़ौरत और बच्चे नाचते हैं और ये डी० जे० शादी वाले दिन तक तेज़ आवाज़ में दिनो रात बजाये जाते हैं जिसके सबब मुहल्ले वालों का सुख चैन चला जाता है और वो रात को सो भी नहीं पाते और उनकी नींद व सुकून सब बर्बाद जाता है लेकिन डी० जे० बजाने वालों को इससे कोई मतलब नहीं कि उनके डी० जे० बजाने से मुहल्ले के लोंगों को कितनी तकलीफ़ो परेशानी का सामना करना पड़ता है और उस डी० जे० की धुन पर नाचना गाना ये दोंनों काम मुत्लक़न हराम व गुनाह हैं और हराम व गुनाह के कामों के करके और लोगों को तकलीफ़ व परेशानी देकर खुश होने वाला खुद को मुसलमान कहता है ये कैसा मुसलमान है और ये खुशी नहीं बल्कि लोगों पर जुल्म है हालांकि किसी मुसलमान को नाहक़ अज़्ज़ियत देने वाला ज़ालिम है और तमाम ज़ालिम अपने जुल्म के सबब अल्लाह तअ़ाला के ग़ज़ब और उसके अ़ज़ाब से दो चार होंगे।

इसी तरह रात की बारातों में आतिश बाज़ी के धमाकों और बैंड बाजों के शोर शराबा व धूम धड़ाका से अह्ले मुहल्ला की नींदें ख़राब होती हैं और अह्ले मुहल्ला के आराम और सुकून को बर्बाद करके खुशी का इज़हार करना गुनाहे अ़ज़ीम व क़ाबिले लाअ़नत और मज़म्मत का मुस्तहिक़ है और ऐसी खुशी किस काम की कि जो लोगों की तकलीफ़ व परेशानी का बाइस बने और ऐसे कामों को करने वाला गुनाहों का मुरतकिब बने तो जो लोगों को तकलीफ़ देगा तो अल्लाह तअ़ाला उसे उसके

गुनाह व ज़ुल्म की सज़ा देगा चुनांचा फ़रमाने इलाही है

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
बेशक जिन लोगों ने मोमिन मर्दों व मोमिन औ़रतों को अज़्ज़ियत दी फिर तौबा न की तो उनके लिये अ़ज़ाबे जहन्नम है और उनके लिये आग में जलने का अ़ज़ाब है। (सूरह–बुरुज–85/10)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
जो लोग मोमिन मर्दों व मोमिन औ़रतों को अज़्ज़ियत देते हैं बग़ैर इसके कि उन्होंने कुछ (ख़ता) की हो तो बेशक उन्होंने बोहतान व खुले गुनाह को बोझ (अपने सर) ले लिया है। (सूरह–अहज़ाब–33/58)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
आप ज़ालिमों को उन (आअ़माल) से डरने वाला देखेंगे जो उन्होंने कमा रखे हैं और वो अ़ज़ाब उन पर वाक़ैअ़ होकर रहेगा। (सूरह–शूरा–42/22)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और बेशक जो लोग जुल्म कर रहे हैं उनके लिये उस अ़ज़ाब के अ़लावा भी अ़ज़ाब है मगर उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। (सूरह–तूर–52/47)

बसा औक़ात शादी ब्याह व दीगर तक़रीबों में बेपर्दा औ़रतें खूब बन संवर कर व सिंगार (मेक अप) करके जाती हैं और अपनी जिस्मानी हुस्न की नुमाइश करती हैं ऐसी ख़वातीन ने तो बेहयाई की सारी हदें पार कर दी हैं और लोग बराहे रास्त और बड़ी बड़ी एल ई डी जो शादी की महफ़िलों में आजकल राइज हो चुकी हैं

उन पर महरम व ग़ैर महरम सब उन बेपर्दा ख़वातीन को देखते हैं और बड़े अफ़सोस की बात है कि कोई मुसलमान आ़म व ख़ास और कोई आ़लिम व हाफ़िज़ ऐसे ख़िलाफ़े शरअ़ अम्र पर कभी कुछ नहीं बोलते हैं जबकि ये काम निहायत ही बुरा व गुनाह और कुरानो सुन्नत की सरीह ख़िलाफ़ वर्ज़ी है।

–: ख़वातीन के लिये पर्दे के अहकाम :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

आप मोमिन मर्दों से फ़रमांदें कि वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त किया करें ये उनके लिये बड़ी पाकीज़ा बात है बेशक अल्लाह उन कामों से खूब आगाह है जो ये अन्जाम दे रहे हैं और आप मोमिन औ़रतों से फ़रमांदें वो अपनी निगाहें नीची रखा करें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त किया करें और अपनी आराइश और ज़ैबाइश को ज़ाहिर न किया करें सिवाए (उस हिस्से) के जो उसमें खुद ज़ाहिर होता है और वो अपने सरों पर ओढ़े हुये दुपट्टे व चादरें अपने गिरेबानों और सीनों पर भी डाले रहा करें और वो अपने ज़ैबो ज़ीनत को (किसी पर) ज़ाहिर न किया करें सिवाए अपने शौहरों के या अपने बाप दादा या अपने शौहरों के बाप दादा के या अपने बेटों या अपने शौहरों के बेटों के या अपने भाइयों या अपने भतीजों या अपने भांजों के या अपनी (हम मज़हब मुसलमान) औ़रतों के या अपनी ममलूका बांदियों के या मर्दों में से वो ख़िदमत गुज़ार जो ख़्वाहिश व शहवत से खाली हों या वो बच्चे जो (कमसिनी के बाइस) औ़रतों की पर्दे वाली चीज़ों से आगाह नहीं हुये और न (चलते हुये) अपने पांव (ज़मीन पर इस तरह) मारा करें कि (पैरों–

की झन्कार से) उनका वो सिंगार मालूम हो जाये जिसे वो (हुक्मे शरीअ़त की वजह से) पोशीदा किये हुये हैं और तुम सब के सब अल्लाह तआ़ला के हुजूर तौबा करो ऐ मोमिनो ताकि तुम (इन अहकाम पर अ़मल पैरा होकर) फ़लाह पा जाओ। (सूरह–नूर–24/30, 31)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

ऐ नबी अपनी बीवियों और अपनी साहिब ज़ादियों और मुसलमानों की अ़ौरतों से फ़रमांदें कि (बाहर निकलते वक़्त) अपनी चादरें ओढ़ लिया करें ये इस बात के क़रीब तर है कि वो पहचान ली जायें (कि ये पाक दामन आज़ाद अ़ौरतें हैं) फिर उन्हें (आवारा बांदियाँ समझ कर ग़लती से) ईज़ा न दी जाये और अल्लाह तआ़ला बड़ा बख़्शने वाला रहम फ़रमाने वाला है।
(सूरह–अहज़ाब–33/59)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

उन पर (पर्दा न करने में) कोई गुनाह नहीं है अपने (हक़ीक़ी) आबा से और न अपने बेटों से और न ही अपने भाइयों से और न अपने भतीजों से और न ही अपने भांजों से और न ही अपनी (मुस्लिम) अ़ौरतों से और न अपनी मम्लूक बाँदियों से (और) तुम अल्लाह का तक़वा (बरक़रार) रखो बेशक अल्लाह तआ़ला हर चीज़ पर गवाह और निगेहबान है।
(सूरह–अहज़ाब–33/55)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और वो बूढ़ी अ़ौरतें जो बुढ़ापे की वजह से जिन्हें अब निकाह की ख़्वाहिश न रही उन पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि वो अपने (ऊपर से ढांपने वाले इज़ाफ़ी)

कपड़े उतार लें बाशर्ते ये कि वो अपनी आराइश यानी अपनी ज़ैबो ज़ीनत की नुमाइश करने वाली न बनें और अगर वो (मज़ीद) परहेज़गारी इख़्तियार करें (याअ़नी ज़ायद औढ़ने वाले कपड़े भी न उतारें) तो उनके लिये बेहतर है और अल्लाह तआ़ला खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। (सूरह–नूर–24/60)

ग़ैर महरम के सामने ज़ैब व ज़ीनत का इज़हार सख़्त हराम है

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और अपने घरों में सुकून से क़याम पज़ीर रहना और पुरानी जाहलियत की तरह ज़ैबो ज़ीनत का इज़हार मत करना और नमाज़ क़ायम रखना व ज़कात देते रहना और अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की इताअ़त गुज़ारी में रहना। (सूरह–अहज़ाब–33/33)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

ऐ औलादे आदम बेशक हमने तुम्हारे लिये ऐसा लिबास उतारा है जो तुम्हारी शर्मगाहों को छुपाये और (तुम्हें) ज़ीनत बख़्शे और (इस ज़ाहिरी लिबास के साथ साथ एक बातिनी लिबास भी उतारा है और वही) तक़्वे का लिबास ही बेहतर है ये अल्लाह तआ़ला की निशानियों में से है ताकि वो नसीहत कुबूल करें ऐ औलादे आदम कहीं तुम्हें शैतान फ़ित्ने में न डाल दे जिस तरह उसने तुम्हारे माँ बाप को जन्नत से निकाल दिया उनसे उन का लिबास उतरवा दिया ताकि वो उन्हें उनकी शर्मगाहें दिखा दे बेशक वो खुद और उसका क़बीला तुम्हें (ऐसी ऐसी जगहों से) देखता रहता है जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते बेशक हमने शैतानों को ऐसे लोगों का दोस्त

बना दिया है जो ईमान नहीं रखते।
(सूरह–आअ़राफ़–7/26, 27)

ग़ैर महरम से नरम लहजे में गुफ़्तगू करने की मुमानियत

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
ऐ अज़वाजे पैग़म्बर तुम औ़रतों में से किसी एक की भी मिस्ल नहीं हो अगर तुम परहेज़गार रहना चाहती हो तो (ग़ैर महरम मर्दों से हस्बे ज़रुरत) बात करने में नरम लहजा इख़्तियार न करना कि जिस के दिल में (निफ़ाक़ की) बीमारी है कहीं वो लालच करने लगे और (हमेशा सादगी के साथ) साफ़ और अच्छी बात किया करो। (सूरह–अहज़ाब–33/32)

मर्दों व औ़रतों को पाक दामन रहने व ज़िना से बचने का हुक्म

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और तुम ज़िना (बदकारी) के क़रीब भी न जाना बेशक ये बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरी राह है।
(सूरह–बनी इसराईल–17/32)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
बदकार औ़रत और बदकार मर्द (अगर शादी शुदा न हों) तो उन दोनों में से हर एक को (ज़िना के साबित हो जाने पर) सौ (सौ) कोढ़े मारे जायें (जबकि शादी शुदा मर्द व औ़रत की बदकारी साबित होने पर सज़ा रज्म है याअ़नी सज़ाए मौत) और तुम्हें उन दोनों पर

अल्लाह तआला के दीन के मुआमले में तुम्हें तरस न आये अगर तुम अल्लाह पर और आख़िरत पर ईमान रखते हो तो उन दोंनों को (ज़िना की) सज़ा देते वक़्त अह्ले ईमान की एक जमाअत मौजूद रहना चाहिये। (सूरह–नूर–24/02)

इरशादे बारी तआला हैः–

और ये वो लोग हैं जो अल्लाह तआला के साथ किसी दूसरे माअ़बूद की इबादत नहीं करते और न ही ऐसी जान को क़त्ल करते हैं जिसे बग़ैरे हक़ मारना अल्लाह तआला ने हराम फ़रमाया है और न ही बदकारी करते और जो शख़्स ये काम करेगा वो सज़ा पायेगा उसके लिये क़यामत के दिन अ़ज़ाब दो गुना कर दिया जायेगा और वो उसमें ज़िल्लत व ख़्वारी के साथ हमेशा रहेगा। (सूरह–फ़ुरक़ान–25/68, 69)

इरशादे बारी तआला हैः–

और तुम्हारी औ़रतों में से जो बदकारी का इरतिकाब कर बैठें तो उन पर अपने लोगों में से चार मर्दों की गवाही तलब करो फिर अगर वो गवाही दे दें तो उन औ़रतों को घरों में बन्द कर दो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाये या अल्लाह तआला उन के लिये कोई और रास्ता मुक़र्रर फ़रमांदे। (सूरह–निसा–4/15)

➡ हज़रत बुरैदा और हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़िअल्लाहु तआला अ़न्हुमा) से रिवायत है कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि किसी भी मुसलमान का खून हलाल नहीं है सिवाए तीन जुर्मों के एक वो जो इस्लाम लाने के बाअ़द कुफ़्र करे दूसरा वो जो शादी शुदा होने के बाअ़द ज़िना करे और

तीसरा वो जिसने किसी को नाहक़ क़त्ल किया हो और जो शख़्स अपने दीन से फिर जाये उसे क़त्ल कर दो यानी जो इस्लाम के बाअ़द कुफ़्र करे या दीन से फिर जाये या फिर किसी जान को नाहक़ क़त्ल करे।
(मुस्नद अहमद–10/339–ह०–22365)
(बुख़ारी–सहीह–6/270–ह०–6878)
(मुस्लिम–सहीह–3/475–ह०–4375, 4377)
(तिर्मिज़ी–सुनन–2/58–ह०–2158)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/777–ह०-1402)
(मिश्कात–2/393–ह०–3446, 3466)
(इब्ने माजा–सुनन–2/264–ह०–2533, 2534)
(नसाई–सुनन–6/59–ह०–4023, 4024)
(तबरानी–मुअ़जम कबीर–3/92–ह०–3760)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करने वाले मर्द और हिफ़ाज़त करने वाली औ़रतें और कसरत से अल्लाह तआ़ला का ज़िक्र करने वाले मर्द व ज़िक्र करने वाली औ़रतें अल्लाह तआ़ला ने इन सब के लिये बख़्शिश और अ़ज़ीम अज्र तैयार कर रखा है।
(सूरह–अहज़ाब–33/35)

➡ हज़रत सह्ल बिन साअ़द रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जो शख़्स मुझे अपने दोंनों जबड़ों के दरमियान और दोंनों टाँगों के दरमियान याअ़नी शर्मगाह की ज़मानत दे तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ।
(बुख़ारी–सहीह–6/71–ह०-6474, 6807)
(मुस्नद अहमद–8/495–ह०-19788)

–: हाथ पाँव और आँखों का ज़िना :–

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि आँखें भी ज़िना करती हैं हाथ भी ज़िना करते हैं पाँव भी ज़िना करते हैं और शर्मगाह भी ज़िना करती है।
(मुस्नद अहमद–2/614–ह०-3912)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला ने इब्ने आदम पर उसके हिस्से का ज़िना लिख दिया है जिसे वो हर हाल में पाकर रहेगा तो आँख का ज़िना (जिसको देखना हराम है उसे देखना) ज़बान का ज़िना (हराम बात) कहना है दिल तमन्ना रखता है ख़्वाहिश करता है फिर शर्मगाह उसकी तस्दीक़ करती है (और वो ज़िना का इरतिकाब कर लेता है) या तकज़ीब करती है (और वो उस गुनाह का इरतिकाब नहीं करता)
(बुख़ारी–सहीह–5/696–ह०-6243)
(मुस्लिम–सहीह–5/130–ह०-6753)
(अबू दाऊद–सुनन–2/641–ह०-2152)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/645–ह०-979)

ग़ैर महरम के लिये खुश्बू लगाने वाली औ़रत ज़ानिया है

➡ हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो औ़रत खुश्बू–

लगाकर लोगों के पास से गुज़रे ताकि वो उसकी खुश्बू को महसूस कर सकें तो वो ज़ानिया है और हर आँख (ग़लत इस्तेअ़माल की वजह से) ज़िना करने वाली है। (तिर्मिज़ी–सुनन–2/497–ह०-2786)
(अबू दाऊद–सुनन–4/218–ह०-4173)
(नसाई–सुनन–7/181–ह०-5129)
(इब्ने हिब्बान–सहीह–5/430–ह०-4424)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/667–ह०-1040)
(इब्ने खुज़ैमा–सहीह–3/202–ह०-1681)

–: ग़ैर इख़्तियारी नज़र मुआ़फ़ :–

➡ हज़रत बुरैदा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने हज़रत मौला अ़ली अ़लैहिस्सलाम से फ़रमाया कि ऐ अ़ली (अचानक किसी औ़रत पर) पड़ जाने के बाअ़द दोबारा नज़र न डालो (अचानक पड़ने वाली) नज़र तुम्हारे लिये मुआ़फ़ है जबकि दूसरी नज़र मुआ़फ़ नहीं है (तिर्मिज़ी–सुनन–2/491–ह०-2777)
(अबू दाऊद–सुनन–2/639–ह०-2149)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/645–ह०-978)

➡ हज़रत जरीर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) से नज़र पड़ जाने के मुताअ़ल्लिक़ अ़र्ज़ किया गया तो आपने फ़रमाया कि अपनी नज़र उधर से फेर लो। (मुस्लिम–सहीह–4/295–ह०-5644)
(तिर्मिज़ी–सुनन–2/492–ह०-2776)
(अबू दाऊद–सुनन–2/639–ह०-2148)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/646–ह०-982)

कुरान व अहादीस में मर्दों व औ़रतों के लिये दीनी व दुनियावी ऐतबार से जो हुदूद मुक़र्रर किये गये हैं उनमें हिकमते इलाही व लोगों की नसीहत और उनके फ़ायदे के लिये हैं और जो लोग अल्लाह तआ़ला के हुदूद से तजावुज़ करते हैं वही लोग आख़िरत में नुक़सान उठाने वाले और अ़ज़ाब के मुस्तहिक़ हैं जब हम ये इक़रार करते हैं कि अल्लाह तआ़ला के बन्दे और रसूलुल्लाह के उम्मती हैं तो क्या हम पर ये वाजिब नहीं कि हम किसी अम्र में अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल की ना फ़रमानी न करें और हम जो भी काम करें बस उसका तरीक़ा बदल दें काम तो सारे करें मगर अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म व उनकी मर्ज़ी के मुताबिक़ करें तो कितना अच्छा हो कि अल्लाह तआ़ला भी खुश और उसका रसूल भी खुश और अज्रो सवाब के मुस्तहिक़ भी बनें और गुनाहों के इरतिकाब से महफूज़ भी रहें।

जैसा कि हम सब देखतें हैं कि अक्सर लोग खुशीयों व मसर्रतों के मवाक़ेअ़ पर अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल से क़तअ़ तआ़ल्लुक़ हो जाते हैं उन मवाक़ेअ़ पर वो जो भी काम करते हैं उन कामों में अपना कमाल तसव्वुर करते हैं और तमाम उमूर को अपने नफ़्स के तक़ाज़े और लोगों को खुश व राज़ी और अपनी वाह वाही और अपनी ताअ़रीफ़ पाने की ग़रज़ से करते हैं जबकि हर खुशी और हर नेअ़मत अल्लाह तआ़ला के फ़ज़्लो करम और उसकी अ़ता से ही मयस्सर आती है क्योंकि सिर्फ़ अल्लाह तआ़ला ही बेनियाज़ है और सारी कायनात उसकी मोहताज है मगर अफ़सोस कि ये कैसा मुसलमान है कि जिसने उसे बेशुमार नेअ़मतें अ़ता कीं और उसी की नाफ़रमानी अल्लाह तआ़ला और उसके के अहकाम पर लोग दुनियावी रस्मो रिवाज को मुक़द्दम

और फ़ौक़ियत देते हुये शादी ब्याह के जुमला उमूर व दीगर कामों को अन्जाम देते हैं हमारी ख़्वातीन का तो हाल इस क़दर क़ाबिले मज़म्मत है जिसकी कोई हद ही न रही बारातों में खूब बनाओ सिंगार करके बेपर्दा हो कर कसीर ताअ़दाद में जाती हैं और अपने ज़ैबाइश की नुमायश करती हैं ग़ैर महरम मर्दों से हंसी मज़ाक़ और गुफ़्तगू करती हैं मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बरातों में बेपर्दा होकर व सज धज कर अ़ौरतों का जाना क्या ये सुन्नत तरीक़ा है या जाहलियत व शैतानियत और ग़ैर मुस्लिमों का तरीक़ा है ऐसी बारातों का तज़किरा न ही हदीस में मिलता और न आसारे सहाबा से साबित है लड़कियाँ ऐसे फ़ैशन वाले कपड़े ज़ैबे तन करती हैं कि देखने वालों की शर्म से गर्दन झुक जाये मगर उन्हें शर्म नहीं आती और न उनके वालिदैन को कोई फ़र्क़ पड़ता है क्या इस्लामी ताअ़लीम और तहज़ीब यही है

आज अक्सर मुसलमान नाजाइज़ फ़ैशन और बुरी रस्मो रिवाज को अपनाये हुये हैं बेपर्दगी और बेहयाई जैसी बुराई व गुनाह से नहीं बचते अ़ौरतों का बनाओ सिंगार व ज़ैबाइस का इज़हार शौहर के लिये मख़सूस है किसी ग़ैर महरम मर्द के लिये क़तअ़न जाइज़ नहीं और किसी ग़ैर महरम को अपनी ज़ैबो ज़ीनत दिखाकर उन्हें हासिल तो कुछ भी नहीं होता तो फिर वो मुफ़्त में ऐसा क्यों करती हैं और गुनाहों का बोझ अपने सरों पर उठाती हैं क्या उनमें अ़क़्ल व शऊर नहीं इसलिये हर ख़ातून पर वाजिब है जब वो घर से बाहर निकले तो पर्दा नशीन होकर जाये बन संवर कर बेपर्दा होकर बाज़ारों की रौनक़ बनने के लिये हरगिज़ न जाये और हर मुआ़मलात में अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल की इताअ़त करें पर्दा इस्लाम का शियार है और ईमान की

अ़लामत है पर्दा मुसलमान ख़ातून की पहचान है और पर्दा शर्मो हया की अ़लामत है पर्दा औ़रत को शैतान के शर और बुरी नज़र और फ़ित्नों से महफ़ूज़ रखता है जब औ़रत बेपर्दा होती है तो ग़ैर मर्दों की बुरी व शहवत आमेज़ निगाहें ज़रुर पड़ती हैं और मर्दों पर भी ये लाज़िम है कि वो अजनबी और ग़ैर महरम औ़रतों को न देखें और अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करें हर इन्सान की फ़ितरत में औ़रतों की रग़बत रखी गई है इसलिये जब वो किसी औ़रत को देखता है तो उसकी शहवत जोश मारती है जिसे वो पूरा करने के लिये कोशिश करता है और वो बाअ़ज़ औक़ात इसमें कामयाब हो जाता है और ज़िना का मुरतकिब हो जाता है शर्मगाह के ज़िना की इब्तिदा नज़र से होती है इसलिये अल्लाह तआ़ला ने मर्दों व औ़रतों को नज़र नीची रखने का हुक्म फ़रमाया है।

जो औ़रतें मुकम्मल पर्दे में घर से बाहर निकलती हैं वो किसी भी बुरी और हवस और शहवत की निगाहों का निशाना नहीं बनतीं और जो औ़रतें बन संवर कर खुश्बू वग़ैराह लगाकर बे पर्दा घर से बाहर निकलती हैं तो वो लोगों की हवश नाक निगाहों का निशाना बनती हैं अल्लाह तआ़ला ने सुरह अहज़ाब–32 में रसूलुल्लाह की अज़वाजे मुताह्रात के लिये हुक्म फ़रमाया कि हस्बे ज़रुरत किसी ग़ैर मर्द से गुफ़्तगू करनी पड़े मसलन दीन से मुताअ़ल्लिक़ या नेकी की ताअ़लीम या वाअ़ज़ व नसीहत करने की बात करने की ज़रुरत पेश आये तो नरम व नज़ाकत भरे लहजे से बात न करना बल्कि इंतिहाई सादगी से बात करना हालांकि तमाम अज़वाजे मुताह्रात उम्मत की माँयें हैं और कोई शख़्स अपनी माँ के मुताअ़ल्लिक़ बुरी सोच का तसव्वुर भी नहीं कर

सकता फिर भी अल्लाह तआ़ाला ने उन्हें नरम लहजे में ग़ैर महरम से बात न करने की तल्क़ीन फ़रमाई तो ये हुक्म अ़ाम ख़्वातीन के लिये कितना ज़्यादा सख़्त होगा ख़्वातीन को जब किसी हाजत या मजबूरी की वजह से किसी ग़ैर मर्द से कोई बात करनी पड़ जाये तो उनके लहजे में नरमी न हो ताकि सामने वाला बुरा लालच न कर सके और न ही उसके दिल में शहवत पैदा हो

मगर अफ़सोस आज हमारे मुआ़शरे की हालत बद से बदतर हो चुकी है शादी ब्याह और बाज़ारों और दीगर जगहों पर अ़ौरतें इस तरह बात करती हैं कि मानो शर्मो हया नाम की कोई चीज़ न रही और अ़ौरतों के ख़ाविन्द और सरपरस्त उन्हें बिल्कुल नहीं रोकते और बाअ़ज ऐसे हैं कि ख़्वातीन के ऐसे मज़मूम फ़ेअ़ल को अच्छा समझते हैं और अपनी बीवियों और बेटियों को क़ाबिल व समझदार और सलाहियत दार समझते और उनकी ताअ़रीफ़ों के पुल बाँधते हैं क्या कुरानो सुन्नत ने हमें यही ताअ़लीम दी है जिस पर अक्सर ख़्वातीन अ़मल कर रही हैं हालांकि ये बहुत ही बुरा अम्र और गुनाह और कुरानो सुन्नत की ख़िलाफ़ वर्ज़ी है इसलिये तमाम ख़्वातीन को चाहिये कि जब वो किसी मजलिस या तक़रीब या बाज़ारों या दीगर जगहों हों ख़्वाह वो घर के दरवाज़े पर हों या घर के अन्दर हों हमेशा ग़ैर महरम मर्दों के सामने पर्दा नशीन रहें और हस्बे हाजत ग़ैर मर्दों से निहायत सादगी के साथ गुफ़्तगू करें और इस तरीक़े को अपना माअ़मूल बनायें और वो उस पर साबित क़दम रहें।

एक और बेहूदगी शादी के कार्डों में चल पड़ी है कि अपनी क़ौमी ज़बान उर्दू के बजाए अब अंग्रेज़ी ज़बान–

में कार्ड छपवाये जाने लगे हैं मानो वो खुद को ज़्यादा पढ़ा लिखा और क़ाबिल समझते हैं आख़िर वो लोगों को क्या दिखाना चाहते हैं या फिर वो लोगों से ज़्यादा इ़ज़्ज़तदार हैं हालांकि ऐसे लोग अंग्रेज़ी ज़बान में पाँच मिनट भी बात नहीं कर सकते और बाअ़ज़ तो ऐसे हैं कि अगर उनसे कहा जाये कि इस शादी कार्ड का तरजुमा कर दो तो वो नहीं कर पायेंगे हम मुसलमान हैं या अंग्रेज़ या वो ये दिखाना चाहते हैं हम भी कुछ हैं हम भी किसी से कम नहीं हैं और मज़ीद ये कि अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल का इस्मे पाक भी छपवा देते हैं फिर वो कार्ड कूढ़े के ढेर और गन्दगी में मारा मारा फ़िरता है और ये अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल के इस्मे पाक की तौहीन बेअदबी और गुनाह है।

निकाह के सबब अल्लाह तआ़ला मज़ीद रिज़्क़ अ़ता फ़रमाता है

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और तुम अपने मर्दों और औ़रतों में से उनका निकाह कर दिया करो जो (उ़म्रे निकाह के बावुजूद) बे निकाह हों और अपने बा सलाहियत गुलामों और बांदियों का भी (निकाह कर दिया करो) अगर वो मोहताज होंगे तो अल्लाह तआ़ला अपने फ़ज़्ल से उन्हें ग़नी कर देगा और अल्लाह तआ़ला बड़ी वुसअ़त वाला है बड़े इ़ल्म वाला है। (सूरह–नूर–24/32)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि तुम निकाह के ज़रिये रिज़्क़ तलाश करो। (मुस्नद–अल फ़िरदौस–1/32–ह०-282)

➡ हज़रत उ़र‘वाह रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मर‘वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया तुम अ़ौरतों से निकाह करो उनकी वजह से तुम्हें (रिज़्क़) माल मिलेगा।
(इब्ने अबी शैबा–5/33–ह०-16161)

निकाह से पहले इन्सान अक्सर बेफ़िक्र और बेपर‘वाह होता है लेकिन शादी के बाअ़द घर के इख़राजात की ज़िम्मेदारी उस पर आ जाती है और वो उनको पूरा करने के लिये माल कमाने की कोशिश में लग जाता है जिसके नतीजे में अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से रिज़्क़ के दर‘वाज़े खुल जाते हैं और अक्सर इस बात का मुशाहदा किया गया है।

–: दुनिया की बेहतरीन मताअ़ नेक बीवी :–

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया दुनिया आ़रज़ी नफ़ाअ़ का सामान है और दुनिया में बेहतरीन नफ़ाअ़ की चीज़ नेक अ़ौरत है।
(मुस्नद अहमद–3/526–ह०-6567)
(इब्ने माजा–सुनन–2/21–ह०-1855)
(मुस्लिम–सहीह–3/132–ह०-3649)
(नसाई–सुनन–5/140–ह०-3234)

➡ हज़रत सूबान (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर‘वी है कि जब ये आयत नाज़िल हुई उस वक़्त हम हुजूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) के साथ सफ़र में थे तो सहाबाकिराम (रज़िअल्लाहु तआ़ला

अ़न्हुम) ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह कि सोने व चांदी की मज़म्मत और उसका हाल हमें माअ़लूम हो गया है लेकिन अगर हम जानते कि कौन सा माल बेहतर है तो हम उसी को जमाअ़ करते फिर हुजूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने इरशाद फ़रमाया कि बेहतर माल ज़िक्र करने वाली ज़बान है और शुक्र करने वाला दिल और नेक बीवी जो आदमी के ईमान व आख़िरत के कामों पर मददगार हो (यानी नेक बीवी की सुहबत के सबब आदमी में ताअ़त व इ़बादत का शौक बढ़े)।
(तिर्मिज़ी–सुनन–2/971-ह०–3094)
(इब्ने माजा–सुनन–2/21–ह०-1856)
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–4/89–ह०-4430)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/647–ह०-986)
(कंजुल उ़म्माल–2/128-ह०–4312,4313)

–: बेहतरीन औ़रत की अ़लामत :–

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) से अ़र्ज़ किया गया कि बेहतरीन औ़रत कौन सी है तो आपने फ़रमाया उसका ख़ाविन्द जब उसको देखे तो वो उसको खुश करदे और जिस वक़्त वो हुक्म दे तो उसकी फ़रमां बरदारी करे और अपने नफ़्स व दौलत में उसकी राय के मुताबिक़ करे।
(नसाई–सुनन–5/139–ह०-3233)

➡ हज़रत अबू उमामा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला के तक़वे के बाअ़द मोमिन ने नेक बीवी से भली कोई

चीज़ हासिल नहीं की कि ख़ाविन्द अगर उसे हुक्म दे तो फ़रमां बरदारी करे और उस पर निगाह डाले तो ख़ाविन्द को सुरुर हासिल हो और अगर उस बीवी के भरोसे पर क़सम खाले तो वो उस क़सम को सच्चा कर दिखाये और ख़ाविन्द की ग़ैर मौजूदगी में अपनी ज़ात और ख़ाविन्द के माल में उसकी ख़ैर ख़्वाही करे याअ़नी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम न करे।
(इब्ने माजा–सुनन–2/21–ह०-1857)

औ़रत की सिर्फ़ दीनदारी को देखकर निकाह करने का हुक्म

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया औ़रत से चार चीज़ों के पेशे नज़र निकाह किया जाता है माल, नसब और खूबसूरती और दीनदारी पस तुम दीनदार औ़रत से शादी करो और कामयाबी हासिल करो।
(बुख़ारी–सहीह–5/110–ह०-5090)
(मुस्लिम–सहीह–3/125–ह०-3635)
(इब्ने माजा–सुनन–2/22–ह०-1858)
(अबू दाऊद–सुनन–2/567–ह०-2047)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/598–ह०-1086)
(नसाई–सुनन–5/139–ह०-3232)
(अबू यआ़ला–अल मुस्नद–1/565–ह०-1008)
(दारमी–सुनन–2/138–ह०-2216)

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर‘वी है कि हुज़ूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो किसी औ़रत से

उसकी इ़ज़्ज़त की वजह से निकाह करेगा तो अल्लाह तबारक व तआ़ला उसकी ज़िल्लत में ज़्यादती करेगा जो किसी औ़रत से उसके माल की वजह से निकाह करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसकी मोहताजी बढ़ायेगा जो किसी औ़रत से उसके हसब (ख़ानदानी मर्तबे) की वजह से निकाह करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसके कमीने पन में ज़्यादती करेगा और जिसने किसी औ़रत से शादी की ताकि नज़र झुक जाये याअ़नी शर्मगाह की हिफ़ाज़त के लिये या सिला रहमी के लिये तो अल्लाह तआ़ला उस की बीवी और उस मर्द के लिये बरकत अ़ता फ़रमायेगा (तबरानी–मुअ़जम औसत–2/185–ह०-2342)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि औ़रतों से उनकी खूबसूरती की वजह से शादी न करो हो सकता है कि उनकी खूबसूरती तुम्हें हलाकत में डाल दे और न उनके माल की वजह से उनसे शादी करो कि उनके अमवाल उन्हें सरकश बनादें सिर्फ़ दीनदारी की बुनियाद पर शादी करो कि यक़ीनन कान में सुराख़ वाली काली औ़रत जो दीनदार हो वो तुम्हारे लिये बेहतर है।
(इब्ने माजा–सुनन–2/22–ह०-1859)

अक्सर लोग जब अपनी औलाद की शादी का इरादा करते हैं तो उनकी ख़्वाहिश दीन के मुताबिक़ नहीं होती बल्कि दुनिया और नफ़्स के मुताबिक़ होती है याअ़नी शादी की इब्तिदा ही शरअ़ई हुक्म के ख़िलाफ़ होती है जब कोई अपने लड़के की शादी के लिये लड़की देखना शुरु करता है तो उसकी ख़्वाहिश ये होती है कि लड़की खूबसूरत हो ख़्वाह उनका लड़का खूबसूरत न हो और

लड़की पढ़ी लिखी हो ख़्वाह उनका लड़का पढ़ा लिखा न हो व लड़की कुरान भी पढ़ी हो ख़्वाह उनका लड़का कुरान न पढ़ा हो मानो ऐसा लगता है कि कुरान की ताअ़लीम हासिल करना सिर्फ़ लड़कियों के लिये मख़सूस हो जबकि कुरान की ताअ़लीम और वो दीनी उ़लूम का हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औ़रत पर फ़र्ज़ है जो ज़रुरियाते ज़िन्दगी हैं और नेक सीरत और अच्छे अख़लाक़ और बा तहज़ीब हो जो घर के सभी लोगों का अच्छी तरह ख़याल रखे ख़्वाह लड़के में ये खूबियाँ न हों और लड़की मालदार घराने से तअ़ाल्लुक़ रखती हो ताकि खूब माल व सोना चाँदी और दुनियावी साज़ो सामान मिले और इतना जहेज़ मिले कि ख़्वाह उनके घर में रखने की जगह भी न हो मानो जैसे लड़की के घर वालों पर उनका क़र्ज़ हो जिसे वो हक़ समझ कर ले रहे हों जबकि इन मज़कूरा बातों का दीन इस्लाम से कोई तअ़ाल्लुक़ नहीं क्योंकि हुजूर (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जब तुम निकाह के वास्ते किसी लड़की का इन्तिख़ाब करो तो खूबसूरती, मालदारी और ख़ानदान न देखो बल्कि सिर्फ़ दीनदारी देखो ख़्वाह लड़की काली ही क्यों न हो और यही तुम्हारे हक़ में बेहतर है

मगर आज हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोगों को सादगी पसन्द दीनदार नेक सीरत नमाज़ी लड़कियाँ पसन्द नहीं आतीं बल्कि बेपर्दा घूमने वालीं और ब्यूटी पार्लर में आईब्रो बनवाने वाली और अपने चेहरों को खूबसूरत वनाने व संवारने वालीं फैशन परस्त बेदीन, बद सीरत, बद अख़लाक़ और बेनमाज़ी लड़की फौरन पसन्द आ जाती हैं बस वो चाहते हैं कि लड़की लम्बी और खूबसूरत हो दीनदारी से उन्हें कोई लेना देना नहीं

यही हाल उन लोगों का भी है जिन्हें अपनी बेटियों की की शादी के लिये दीनदार नेक सीरत अच्छे अख़्लाक़ वाला नमाज़ी लड़का पसन्द नहीं आता वो चाहते हैं कि लड़का मालदार व खूब सूरत लम्बे क़द का हो, ज़मीनो जायदाद वाला हो उसका घर बहुत बड़ा और अच्छा हो लड़के की दीनदारी नेक सीरत अच्छे अख़्लाक़ से उन्हें कुछ भी लेना देना नहीं और उसकी मालदारी के सामने उसकी बुराइयाँ दिखाई नहीं देती बस वो चाहते हैं कि मेरी बेटी ऐशो इशरत व मसर्रत और खुशहाल ज़िन्दगी गुज़ारे और उसकी दुनिया बेहतर हो जाये चाहे उसकी आख़िरत तबाह और बर्बाद हो जाये बस उसकी दुनिया संवर जाये और ऐसा करके वो फ़ख़्र और बहुत खुशी का इज़्हार करते हैं कि मानो उनकी बेटी को जन्नत मिल गई हो और वो खुद को निहायत अ़क़्लमंद और होशियार समझते हैं हालांकि वो बहुत बड़े बेवकूफ़ हैं क्योंकि कामयाब और सआ़दत मंद शख़्स वो नहीं कि जिसकी दुनिया बेहतर हो बल्कि वो है जिसकी आख़िरत बेहतर हो अगर मालदारी में लोगों की सआ़दत मंदी और बेहतरी होती तो अल्लाह के रसूल ये न फ़रमाते कि तुम खूब सूरती व मालदारी और ख़ानदान न देखो बल्कि सिर्फ़ दीनदारी देखो।

बिल फ़र्ज़ अगर किसी की दुनियावी ज़िन्दगी बेहतर हो भी जाये तब भी वो ज़िन्दगी आख़िरत के मुक़ाबले में निहायत ही थोड़ी और महदूद है जबकि आख़िरत की ज़िन्दगी दायमी लामहदूद और कभी ख़त्म न होने वाली है जैसा कि अल्लाह के रसूल ने दुनियावी ज़िन्दगी की मिसाल बयान फ़रमाई कि दुनिया की ज़िन्दगी आख़िरत के मुक़ाबले में ऐसी है कि जैसे कोई शख़्स समुन्दर में उंगली डाले और निकाल ले तो वो उंगली जितना पानी

लेकर लौटी है वो दुनिया की ज़िन्दगी है और समुन्दर से उंगली निकालने के बाअ़द समुन्दर में जो पानी बचा वो आख़िरत की ज़िन्दगी है ये सिर्फ़ लोगों को समझाना मक़सूद है क्योंकि जिसकी कोई हद ही न हो उसकी मिसाल दुनिया की किसी चीज़ से नहीं दी जा सकती और दुनियावी मौत के बाअ़द कभी भी किसी को मौत नहीं आयेगी चाहे उसका ठिकाना जन्नत हो या दोज़ख़ हो तो माअ़लूम हुआ कि दुनिया की ज़िन्दगी कितनी भी बेहतर व खुशहाल हो अगर उसने अपनी आख़िरत को बेहतर नहीं बनाया तो उसकी दुनिया की ज़िन्दगी की ऐशो इ़शरत व आसाइश कोई माअ़ने नहीं रखती।

अक्सर इन्सान जैसी सुहवत इख़्तियार करता है वैसे ही असरात उस पर सब्त होते हैं अगर लड़का नमाज़ी व दीनदार और नेक सीरत होगा तो उसकी सुहवत में उसकी बीवी का नमाज़ी और नेक होने का इमकान है और अगर ऐसा हुआ तो उसकी दुनिया व आख़िरत दोंनो बेहतर हो जायेंगी और वो फ़लाह पाने वालों में से हो जायेगी और हक़ीक़ी कामयाबी व कामरानी उस के लिये है जो आख़िरत के अ़ज़ाब से बचा लिया गया व जन्नत में दाख़िल कर दिया गया और बद बख़्ती व हलाकत है उसके लिये जो दुनिया में कुछ वक़्त ऐशो आसाइश में रहे और वो आख़िरत के सख़्त अ़ज़ाब में मुब्तिला किया जाये और दोज़ख़ में दाख़िल किया जाये।

हमारे मुआ़शरे के इन बुरे हालात की एक सबसे बड़ी वजह मुसलमानों की लाइ़ल्मी है कि अक्सर लोगों में दीनी उलूम सीखने की रग़बत न रही और दुनिया को ही अपनी हक़ीक़ी ज़िन्दगी तसव्वुर करते हैं और उनके दुनियावी सब उमूर दुनिया व दुनिया वालों के मुताबिक़

अन्जाम पाते हैं लेकिन कम अज़ कम दीन से वाबस्ता कामों में तो शरीअ़त के अहकाम का कुछ तो लिहाज़ रखना चाहिये था लेकिन नफ़्सानी ख़्वाहिशात के ग़लबे ने उन्हें आख़िरत से बेफ़िक्र और बेपर'वाह बना दिया जैसे उन्हें मरना ही न हो क़ब्र में जाना ही न हो और क़यामत में हिसाब देना ही न हो और इतनी छोटी सी ज़िन्दगी के लिये आख़िरत की कभी ख़त्म न होने वाली बेहतरीन और हर ख़्वाहिश को पूरा करने वाली जन्नत की ज़िन्दगी को कुर्बान कर देना क्या ये बेवक़ूफ़ी और कम अ़क्ली दलील नहीं है।

जिस निकाह में ख़िलाफ़े शरअ़ काम और एअ़तिदाल से ज़्यादा इख़राजात हों तो ऐसे निकाह में अल्लाह तआ़ला की रहमत और बरकत नहीं होती और जिस निकाह में अल्लाह तआ़ला की रहमत और बरकत न हो तो ज़रा सोचो उनसे पैदा होने वाली नस्लों का क्या हाल होगा और वो कैसी होंगी।

सुन्नत से एअ़राज़ करने वाले का रसूलुल्लाह से तअ़ाल्लुक़ नहीं

➡उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया निकाह मेरी सुन्नत है जो मेरी सुन्नत पर अ़मल न करे तो उसका मुझसे कोई तअ़ाल्लुक़ नहीं।

(इब्ने माजा–सुनन–2/17–ह०-1846)
(मुस्लिम–सहीह–3/31–ह०-3403)
(बुख़ारी–सहीह–5/97–ह०-5063)
(नसाई–सुनन–5/125–ह०-3219)

वली की इजाज़त के बग़ैर किसी औ़रत का निकाह नहीं हो सकता

जैसा कि आजकल ये अ़ाम बात हो गई कि लड़का व लड़की घर वालों की मर्ज़ी व इजाज़त के बग़ैर घर से भागकर निकाह कर लेते हैं तो ऐसा निकाह बातिल है

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तअ़ाला अ़न्हा) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जिस किसी औ़रत का उसके वली की इजाज़त के बग़ैर उसका निकाह कर दिया जाये तो उसका निकाह बातिल है उसका निकाह बातिल है उसका निकाह बातिल है ये आपने तीन मर्तबा फ़रमाया और ना क़ाबिले कुबूल है।
(अबू दाऊद–सुनन–2/599–ह०–2083)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/604–ह०–1102,1094)
(इब्ने माजा–सुनन–2/30–ह०–1879)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–2/703–ह०–2706)
(इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16167)
(तबरानी–मुअ़जम औसत–1/495–ह०-873)
(मुस्नद इमाम शाफ़ई–393) (सयूती–दुर्रे मन्सूर–1/664)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तअ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि कोई औ़रत किसी औ़रत का निकाह न करे और न कोई औ़रत खुद ही अपना निकाह करे बेशक ज़ानिया है वो जो खुद अपना निकाह करती है। (इब्ने माजा–सुनन–2/31-ह०-1882)
(दुर्रे मन्सूर–1/664)(दार कुतनी–सुनन–3/146–ह०-3535)

➡ हज़रत अबू मूसा रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु फ़रमाते हैं कि रहमते दो आ़लम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि वली के बग़ैर कोई निकाह दुरस्त नहीं होता। (दुर्रे मन्सूर–1/664)
(अबू दाऊद–सुनन–2/600-ह०-2085)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/604-ह०-1100,1101)
(इब्ने माजा–सुनन–2/31-ह०-1881)
(इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16186)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) फ़रमाते हैं कि सरकारे दो आ़लम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया वली के बग़ैर कोई निकाह नहीं और जिसका कोई वली न हो उसका वली बादशाह होता है।
(इब्ने माजा–सुनन–2/31-ह०-1880)
(इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16171)

➡ हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है आप फ़रमाते हैं कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया वली और दो आ़दिल गवाहों के बग़ैर निकाह जाइज़ नहीं। (बैहक़ी–सुनन कुबरा–7/125) (दुर्रे मन्सूर–1/664)

➡ हज़रत इकरिमा बिन ख़ालिद बयान करते हैं कि मैं सफ़र में चन्द हमराहियों के साथ था कि उनमें एक बेवा औ़रत भी थी जिसने एक आदमी को अपना वली मुन्तख़ब किया व उस वली (सरपरस्त) ने उस औ़रत का निकाह एक मर्द से करा दिया तो फिर हज़रत उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) ने निकाह करने वाले और जिसका निकाह हुआ था दोनों को कोढ़े लगवाये और–

उस ओ़रत का निकाह भी बातिल यानी रद्द कर दिया
(इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16191)
(दार कुतनी–सुनन–3/145–ह०-3530)
(मुस्नद इमाम शाफ़ई–394)

➡ अबू जुबैर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) बयान करते हैं कि हज़रत उ़मर फ़ारुक़ (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) के पास एक ऐसे निकाह का मुआ़मला आया कि जिस पर सिर्फ़ एक मर्द व एक औ़रत गवाह थे तो आपने फ़रमाया ये पोशीदा निकाह है मैं इसे जाइज़ क़रार नहीं देता अगर मुझे इसका पहले इ़ल्म होता तो मैं रज्म कर देता। (रज्म–यानी पत्थर मार मार कर हलाक करना व संगसार करना) (मुस्नद इमाम शाफ़ई–394)
(मौता इमाम मालिक–2/535)

➡ हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन माअ़बद फ़रमाते हैं कि हज़रत उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) ने औ़रत के वली (सरपरस्त) की इजाज़त के बग़ैर हुये निकाह को रद्द कर दिया। (इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16168)

➡ हज़रत उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) फ़रमाते हैं कि वली के बग़ैर निकाह नहीं होता।
(इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16169)

➡ हज़रत शाअ़बी फ़रमाते हैं कि बग़ैर वली के निकाह के मुआ़मले में हज़रत मौला अ़ली अ़लैहिस्सलाम तमाम सहाबा किराम में सबसे ज़्यादा सख़्त थे वो ऐसा करने पर मारा करते थे। (इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16170)

➡ हज़रत उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) फ़रमाते हैं

कि औ़रत ख़्वाह दस मर्तबा निकाह करे उसका निकाह वली की इजाज़त से और वली न होने की सूरत में सुल्तान की इजाज़त से ही होगा।
(इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16170)

➡ हज़रत बकर फ़रमाते हैं कि एक औ़रत ने वली की इजाज़त और दो गवाहों के बग़ैर निकाह कर लिया तो हज़रत उ़मर रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु की तरफ़ उसके बारे में ख़त लिखा गया तो हज़रत उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) ने जवाब में लिखा कि उसको सौ कोढ़े मारे जायें फिर हज़रत उ़मर रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु ने सब शहरों में ख़त लिखा कि जिस औ़रत ने वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह किया तो वो ज़ानिया की तरह है। (इब्ने अबी शैबा–5/39-ह०-16195)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और (मुसलमान औ़रतों को) मुशरिक मर्दों के निकाह में न दो जब तक कि वो मुसलमान न हो जायें।
(सूरह–बक़राह–2/221)

इस आयते करीमा में अल्लाह तबारक व तआ़ला ने मुसलमान औ़रतों के बजाए उनके औलिया (यानी सर परस्तों) को ख़िताब फ़रमाया और उन्हें हुक्म दिया कि मुसलमान औ़रतों का निकाह मुशरिक मर्दों से न करें कुराने करीम के इस अंदाजे बयान से वाज़ेह हुआ कि मुसलमान औ़रत अपने निकाह का मुआ़मला खुद तय नहीं कर सकती उसके निकाह का मुआ़मला उसके वली (सरपरस्त) के ज़रिये और वसीले से ही अंजाम पायेगा मुफ़स्सिरीने किराम ने इस आयत को निकाह के मसले में नस क़रार दिया है।

इमाम कुरतबी फ़रमाते हैं कि ये आयत बतौर नस इस बात की दलील है कि वली की इजाज़त के बग़ैर निकाह करना जाइज़ नहीं है। (तफ़्सीर कुरतबी–2/103)

इमाम इब्ने तैमिया फ़रमाते हैं कि औ़रत खुद अपना निकाह नहीं कर सकती बल्कि उसके निकाह का बन्दोबस्त करना उसके वली की ज़िम्मेदारी है।
(अबू दाऊद–सुनन–2/596)

एक और मक़ाम पर अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त ने फ़रमाया

इरशादे बारी तअ़ाला हैः–
और तुम अपने मर्दों और औ़रतों में से उनका निकाह कर दिया करो जो बे निकाह हों। (सूरह–नूर–24/32)

मज़कूरा आयते करीमा भी इस तरफ इशारा करती है कि वली की इजाज़त के बग़ैर औ़रत का निकाह जाइज़ नहीं है इस आयते करीमा में भी अल्लाह तबारक व तअ़ाला ने कुँवारी लड़की और बेबा औ़रतों के औलिया को ख़िताब करके उन्हें निकाह का बन्दोबस्त करने का हुक्म दिया है इमाम बग़वी फ़रमाते हैं कि ये आयत इस बात की दलील है कि बे शौहर औ़रतों के निकाह का बन्दोबस्त करना औलिया (सरपरस्त) की ज़िम्मेदारी है।
(तफ़्सीर–बग़वी–3/73) (तफ़्सीर–कुरतबी–12/239)
(अबूदाऊद–सुनन–2/596)

कुरानो सुन्नत और आसारे सहाबा से ये बात माअ़लूम हुई कि बग़ैर वली की इज़ाजत के औ़रत का निकाह नहीं हो सकता अल्लाह तअ़ाला व उसके रसूल ने ऐसे निकाह को बातिल और नाक़ाबिले कुबूल क़रार दिया है

ओ़रत की इजाज़त के बग़ैर उसका निकाह नहीं किया जा सकता

➡ हज़रत ख़न्सा बिन्ते ख़िज़ाम (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से रिवायत है कि उनके बाप ने उनका निकाह उनकी मर्ज़ी के बग़ैर कर दिया उन्हें ये निकाह मन्जूर न था इसलिये वो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम की ख़िदमत में हाज़िर हुईं तो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने उनके निकाह को फ़स्ख़ कर डाला यानी निकाह बातिल क़रार देते हुये रद्द कर दिया।
(बुख़ारी–सहीह–5/140-ह०-5138, 6945)
(नसाई–सुनन–5/167-ह०-3270)
(अबू दाऊद–सुनन–2/609-ह०-2101)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से रिवायत है कि एक कुंवारी लड़की हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे वालिद ने जबरदस्ती मेरा निकाह किसी से करा दिया तो आप सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम ने उसे इख़्तियार दिया। याअ़नी तू चाहे अपने निकाह को बर–क़रार रख चाहे तो ख़त्म करदे और जिससे चाहे उस से निकाह करले। (इब्ने माजा–सुनन–2/28-ह०-1875)
(अबू दाऊद–सुनन–2/607-ह०-2096)
(मुस्नद अहमद–2/187–ह०-2469)
(दार कुतनी–सुनन–3/156–ह०-3566)

➡ हज़रत अ़ब्दुर्रहमान और हज़रत मुजम्माअ़ दोंनों

अन्सारी हैं रिवायत करते हैं एक शख़्स ने अपनी बेटी की मर्ज़ी के बग़ैर उसका निकाह किसी से कर दिया तो बेटी को बाप का ये निकाह पसंद नहीं आया और वो हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और ये बात अ़र्ज़ कर दी तो आप (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने बाप के निकाह को रद्द फ़रमाया फिर उस लड़की ने अबू लुबाबा बिन अ़ब्दुल मुन्ज़िर से निकाह कर लिया।
(इब्ने माजा–सुनन–2/27-ह०-1873)
(अबू दाऊद–सुनन–2/609-ह०-2101)
(दार कुतनी–सुनन–3/151–ह०-3551)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ऊ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) बयान करते हैं कि जब ऊ़स्मान बिन मज़ऊन (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) वफ़ात पा गये तो उन्होंने अपनी एक बेटी छोड़ी जिसका निकाह मेरे मामू कुदामा बिन मज़ऊन (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) ने मेरे साथ कर दिया वो उसके चचा थे और उन्होंने इस सिलसिले में उससे मशवरा न किया उसने रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) से अ़र्ज़ किया तो आपने उसके निकाह को ख़त्म कर दिया फिर उसने मुग़ीरा बिन शुअ़बा के साथ निकाह करना पसन्द किया तो आपने उसका निकाह उनसे करा दिया।
(दार कुतनी–सुनन–3/150–ह०-3548)

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) बयान करती हैं कि एक लड़की हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अ़र्ज़ किया कि मेरे वालिद बहुत अच्छे आदमी है लेकिन उन्होंने मेरी शादी अपने

भतीजे के साथ कर दी है ताकि वो अपनी ख़स्ता हाली से निकल आयें लेकिन मैं इस निकाह को ना पसन्द करती हूँ तो आपने उस निकाह का मुआ़मला लड़की के सपुर्द कर दिया याअ़नी आपने उस लड़की को पूरा इख़्तियार दे दिया चाहे तो अपने निकाह को बर क़रार रखे चाहे तो ख़त्म करदे
(दार कुतनी–सुनन–3/153–ह०-3556, 3557)

➡ हज़रत जाबिर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि एक आदमी ने अपनी कुंवारी बेटी की शादी कर दी लेकिन उससे इजाज़त नहीं ली वो हुजूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) के पास आई और पूरी बात अ़र्ज़ करदी तो आपने उसका निकाह बातिल कर दिया।
(दार कुतनी–सुनन–3/154–ह०-3558, 3560)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) बयान करते हैं एक आदमी ने अपनी कुंवारी बेटी का निकाह कर दिया मगर वो उसे नापसन्द करती थी वो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) की ख़िदमत में हाज़िर हुई तो आपने उसके निकाह को बातिल कर दिया। (दार कुतनी–सुनन–3/157–ह०-3570)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया बेवा औ़रत का निकाह उस वक़्त तक न किया जाये जब तक उससे पूछ न लिया जाये और कुंवारी औ़रत का निकाह उस वक़्त तक न किया जाये जब तक कि उसकी इजाज़त न ली जाये सहाबा किराम ने अ़र्ज़ की ऐ अल्लाह के रसूल कुंवारी की इजाज़त किस तरह होगी तो आपने फ़रमाया

कि (पैग़ामे निकाह सुन कर) उसका ख़ामोश रहना ही उसकी इजाज़त है।
(बुख़ारी–सहीह–5/139–ह०-5136)
(मुस्लिम–सहीह–3/53–ह०-3473, 3776)
(नसाई–सुनन–5/163–ह०-3262, 3263, 3266,3267,2369)
(अबू दाऊद–सुनन–2/605–ह०-2092)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/609–ह०-1108)
(इब्ने माजा–सुनन–2/27–ह०-1871)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि यतीम लड़की से उसके निकाह के लिये इजाज़त ली जाये अगर वो चुप रहे तो उसका चुप रहना ही इजाज़त होगा और अगर वो इन्कार करदे तो ज़बर दस्ती उसका निकाह करना जाइज़ नहीं। (तिर्मिज़ी–सुनन–1/610–ह०-1109)
(अबू दाऊद–सुनन–2/605–ह०-2093)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हुमा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि वली को बेवा के मुआ़मले में कोई दख़ल हासिल नहीं है व यतीम लड़की से मशवरा किया जाये और उसकी ख़ामोशी ही उसका इक़रार है। (अबू दाऊद–सुनन–2/608–ह०-2100)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हुमा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि शौहर वाली औ़रत याअ़नी बेवा और तलाक़ शुदा अपने वली से ज़्यादा अपनी ज़ात पर हक़ रखती है याअ़नी उसके निकाह से

पहले उससे इजाज़त ली जाये और कुंवारी से भी उसके निकाह के मुताअ़ल्लिक़ इजाज़त ली जाये।
(इब्ने माजा–सुनन–2/26–ह०-1870)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि कुंवारी लड़की से उसके निकाह के मुताअ़ल्लिक़ इजाज़त ली जायेगी और अगर वो ख़ामोश रहे तो ये उसकी जानिब से इजाज़त तसव्वुर होगी और अगर वो इन्कार करदे तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं की जायेगी।
(मुस्नद अहमद–4/107–ह०-7519)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर'वी है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि लड़कियों की शादी के सिलसिले में उनकी माँओं से मश्वरा कर लिया करो। (अबू दाऊद–सुनन–2/606–ह०-2095)

–: निकाह में दो गवाहों का होना शर्त है :–

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि ज़िना करने वाली वही औ़रतें हैं जो बग़ैर गवाहों के अपना निकाह करती हैं। (तिर्मिज़ी–सुनन–1/606–ह०-1103)

➡ हज़रत मौला अ़ली (अ़लैहिस्सलाम) फ़रमाते हैं कि वली की इजाज़त के बग़ैर व दो आ़दिल गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता। (इब्ने अबी शैबा–5/34-ह०-16181)

➡ हज़रत इमरान बिन हुसैन (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है आप फ़रमाते हैं कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया वली और दो आ़दिल गवाहों के बग़ैर निकाह जाइज़ नहीं। (बैहक़ी–सुनन कुबरा–7/125) (दुर्रे मन्सूर–1/664)

➡ हज़रत अबू सईद (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) के निकाहों के अ़लावा कोई निकाह वली, गवाह और हक़ महर के बग़ैर नहीं होता।
(दार कुतनी–सुनन–3/141–ह०-3519)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर'वी है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि वली और दो आ़दिल गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता।
(दार कुतनी–सुनन–3/145–ह०-3532)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया वली और दो आ़दिल गवाहों के निकाह नहीं है और जिस औ़रत का निकाह उसका वली नाराज़गी की हालत में करे उसका निकाह बातिल है। (दार कुतनी–सुनन–3/141–ह०-3521)

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया वली और दो गवाहों के बग़ैर निकाह नहीं होता।
(दार कुतनी–सुनन–3/146–ह०-3533)

जहेज़ व दीगर चीज़ों का मुतालबा करना नाजाइज़ व गुनाह है

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआला अन्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो अपना माल बढ़ाने की ग़रज़ से लोगों से माल माँगता है तो गोया वो दोज़ख़ के अंगारे माँगता है ख़्वाह वो कम माँगे या ज़्यादा उसकी मर्ज़ी। (मुस्लिम–सहीह–2/377–ह०-2399)
(इब्ने माजा–सुनन–1/622–ह०-1838)
(अबू दाऊद–सुनन–2/297–ह०-1629)
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–3/222–ह०-3517)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़िअल्लाहु तआला अ़न्हुमा) से मर'वी है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो शख़्स (मुहताज न होने के बावुजूद) मुसलसल लोगों से सुवाल करता रहे वो क़यामत के दिन इस हाल में आयेगा कि उसके चेहरे पर गोश्त का एक टुकड़ा भी न होगा।
(बुख़ारी–सहीह–2/189–ह०-1474)
(मुस्लिम–सहीह–2/376–ह०-2396)
(नसाई–सुनन–4/342–ह०-2586)
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–3/220–ह०-3509)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़िअल्लाहु तआला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जिसने मुहताज न होने के बावुजूद भी माँगा तो रोज़े क़यामत उसका माँगना उसके चेहरे पर ज़ख़्म (बदनुमा दाग़ की तरह)

होगा और चेहरे पर ख़राशों के जैसे नौचे हुये की सूरत में ज़ाहिर होगा अ़र्ज़ की गई या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) मुहताज होने की हद क्या है आपने फ़रमाया कि पचास दिरहम या उस-की क़ीमत के बराबर सोना।

(इब्ने माजा–सुनन–1/622–ह०-1840)
(अबू दाऊद–सुनन–2/295–ह०-1626)
(तबरानी–मुअ़जम कबीर–1/659–ह०-1391)
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–3/220–ह०-35010)

तीन क़िस्म के लोगों का माँगना नाजाइज़ है

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि मालदार, सेहतमंद और ताक़तवर शख़्स का माँगना जाइज़ नहीं।

(नसाई–सुनन–4/350–ह०-2598)

तीन क़िस्म के लोगों का माँगना हलाल है

➡ हज़रत क़बीसा बिन मुख़ारिक़ (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि तीन क़िस्म के लोगों का माँगना जाइज़ है एक वो शख़्स जो किसी अम्रे ख़ैर में क़र्जदार हो जाये तो उसका माँगना हलाल हो जाता है यहाँ तक कि उसको इतना माल मिल जाये कि उसकी ज़रुरत पूरी हो जाये फिर वो न माँगे दूसरा वो शख़्स जिसके माल में आफ़त पहुँची हो कि जिससे

उसका माल ज़ाया हो गया हो तो उसका माँगना हलाल हो जाता है यहाँ तक कि उसको इतना माल मिल जाये कि उसकी ज़रुरत पूरी हो जाये तीसरा वो शख़्स जिसके तीन दिन फ़ाक़ा में गुज़र जायें तो उसका माँगना हलाल हो जाता है यहाँ तक कि उसको इतना माल मिल जाये कि जिससे उसकी गुज़र बसर होने लगे इनके अ़लावा जो माँगता है वो हराम खाता है।
(मुस्लिम–सहीह–2/379–ह०-2404)
(नसाई–सुनन–4/345–ह०-2592)

जो किसी से कुछ न माँगे उसे जन्नत की ज़मानत

➡हज़रत सूबान (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुज़ूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि कौन है जो मुझे ये ज़मानत दे कि वो किसी से कुछ नहीं माँगेगा तो मैं उसे जन्नत की ज़मानत दूँ तो हज़रत सूबान ने कहा ''मैं''। (अबू दाऊद–सुनन–2/309–ह०-1643)
(नसाई–सुनन–2/179–ह०-2594)

जो माँगने से बचे तो अल्लाह उसे बचाता है

➡हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो माँगने से बचे तो अल्लाह तआ़ला उसे माँगने से बचाता है और जो अपने दिल को बेपर'वाह रखे तो अल्लाह तआ़ला उसे बेपर'वाह कर देता है और जो सब्र करता है अल्लाह–

तआ़ला उस पर सब्र को आसान कर देता है और जो कुछ तुममें से किसी को अल्लाह तआ़ला अ़ता करे वो बेहतर है और सब्र से बढ़कर कोई भी ऐसी नेअ़मत वुसअ़त व कुशादगी वाली नहीं जो अल्लाह तआ़ला ने किसी को दी हो। (मुस्लिम–सहीह–3/71–ह०-2424)
(अबू दाऊद–सुनन–2/310–ह०-1644)
(नसाई–सुनन–2/178–ह०-2592)

जब कोई हाजत हो तो अल्लाह के हुज़ूर पेश करो

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जिसे कोई इन्तिहाई शदीद हाजत आ पड़े और उसने उसे लोगों पर पेश कर दिया तो उसकी हाजत दूर न होगी और जिसने अपनी हाजत को अल्लाह तआ़ला के हुज़ूर पेश किया तो अ़नक़रीब अल्लाह तआ़ला उसे बेपर‘वाह कर देगा। (अबू दाऊद–सुनन–2/311–ह०-1645)

फ़िज़ूल ख़र्ची करने वाले शैतान के भाई हैं

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
क़राबत दारों को उनका हक़ अदा करो और मुहताजों (का हक़ अदा करो) और मुसाफ़िरों को भी (दो) और (अपना माल) फ़िज़ूल ख़र्ची में न उड़ाओ बेशक फ़िज़ूल ख़र्ची वाले शैतान के भाई हैं और शैतान अपने रब का बड़ा ही ना शुक्रा है। (सूरह–बनी इसराईल–17/26, 27)

मज़कूरा आयत में फ़िज़ूल खर्ची करने वालों को शैतान

का भाई कहा गया याअ़नी शैतान के मुशाबा शैतान के साथी हैं जो अल्लाह तआ़ला के अ़ता कर्दा माल को फ़िज़ूल ख़र्ची में उड़ाते हैं मसलन नाजाइज़ और हराम कामों में ख़र्च करना, बेफ़ायदा ख़र्च करना रस्मो रिवाज के नाम पर ख़र्च करना बिला ज़रुरत ख़र्च करना और शोहरत तलबी के लिये ख़र्च करना ख़िलाफ़े शरअ़ काम में ख़र्च करना हिर्स के सबब लोगों पर सबक़त हासिल करने की ग़रज़ से ग़ैर ज़रुरी अशया पर ख़र्च करना नाहक़ ख़र्च करना वग़ैराह और माल को फिज़ूल ख़र्ची में उड़ाने वाले शैतान के वसवसों की पैर'वी करने वाले शैतान के भाई और साथी हैं किसी मुसलमान के लिये इससे बढ़कर बुराई और क्या हो होगी कि उसे शैतान से तशबिया दी जाये और शैतान का भाई कहा जाये तो इससे उन लोगों को इबरत व नसीहत हासिल करना चाहिये और शादी ब्याह व दीग़र तक़रीब बल्कि तमाम मुआ़मलात में फ़िज़ूल ख़र्ची करने से बचें और शरअ़ई अहकामात के मुताबिक़ ही माल सर्फ़ करें।

इस्लाम में जिस तरह माल कमाने के लिये हलाल ज़राए को ही इख़्तियार करने की इजाज़त है उसी तरह माल के ख़र्च में भी इसराफ़ (फ़िज़ूल ख़र्ची) की इजाज़त नहीं है और क़यामत के दिन अल्लाह तआ़ला माल की निस्बत सुवाल करेगा कि माल कहाँ से कमाया व कहाँ ख़र्च किया।

➡ हज़रत अबू बरज़ा रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि कोई शख़्स अपनी जगह न हटेगा यहाँ तक कि उससे पूछा जाये कि तूने अपनी उ़म्र किस तरह गुज़ारी और तूने अपने इ़ल्म से

क्या क्या अ़मल किया और माल कहाँ से कमाया और कहाँ ख़र्च किया और अपने जिस्म को किन कामों में लगाया। (तिर्मिज़ी–सुनन–2/244–ह०-2417)

कुरान व अहादीस में निकाह की ताकीद और फ़ज़ाइल कसरत से बयान हुये हैं मगर ये फ़ज़ीलत तब है जब निकाह से मुताअ़ल्लिक़ तमाम उमूर ज़ेरे अहकामे शरअ़ और सुन्नत के मुताबिक़ अ़मल में लाये जायें तो इससे बेशुमार दुनियावी व उख़्र‘वी फ़वाइद हासिल होते हैं लेकिन अक्सर मुसलमानों ने इस बेहतरीन और सुन्नत फ़ेअ़ल के साथ बेशुमार ग़ैर शरअ़ई और जाहलियत व शैतानियत पर मबनी रस्मों व रिवाजों को शामिल कर लिया और ऐसी रस्मों रिवाज के नाम पर लाखों रुपया इसराफ़ करते हैं शादी के इब्तिदा से शादी के इख़्तिताम तक दोंनों फ़रीक़ैन की तरफ़ से फ़िज़ूल ख़र्ची की जाती है अब एक नई रस्म भी ईजाद कर ली गई कि हल्दी वाले दिन घर के अफ़राद पीले रंग के कपड़े पहनते हैं फिर वो दोबारा नहीं पहने जाते हालांकि मुरव्वजा रस्मों का शरीअ़त से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है बल्कि ये ग़ैर शरअ़ई और ग़ैर मुस्लिमों के रस्मो रिवाज हैं जो मुसलमानों ने इख़्तियार कर रखे हैं।

अब तो छोटी से छोटी तक़रीबों में आतिशबाज़ी का चलन हो गया है जिसमें हज़ारों रुपया बेजा ख़र्च किया जाता है और कई क़िस्मों के खाने व पीने की चीज़ों में फ़िज़ूल ख़र्ची और बड़ी बड़ी एल ई डी और डी० जे० के नाम पर फ़िज़ूल ख़र्ची इसी तरह कई मवाक़ैअ़ पर फ़िज़ूल ख़र्ची की जाती है मंगनी के बाअ़द लड़का और लड़की के ख़ानदानों में तहायफ़ का तबादला शुरु हो जाता है कभी ईदी के नाम पर, कभी नज़राने के नाम–

पर जिसमें हज़ारों रुपया फ़िज़ूल ख़र्च होता फिर शादी में दुल्हन के लिये हज़ारों लाखों रुपये का लंहगा ख़रीदा जाता है जो सिर्फ़ शादी के मौक़ेअ़ पर ही पहना जाता है दुल्हन का ब्यूटी पार्लर में बनाओ सिंगार मेक अप कर'वाना आई ब्रो बनवाना कि जिसके बग़ैर शादी की तक़रीब मुकम्मल नहीं समझी जाती फिर वलीमे का मेक अप भी ब्यूटी पार्लर में होता है जिसमें हज़ारों रुपया बेजा ख़र्च किया जाता है।

शादी ब्याह व दीगर तक़रीबों में लोग लाखों करोड़ों रुपये ख़र्च कर देते हैं ताकि लोगों में उनकी शोहरत व चर्चा हो लोग उन्हें मालदार समझें और उनकी इ़ज़्ज़त करें मगर ऐसे बेशुमार लोग हैं जो बेहूदा कामों में तो लाखों रुपया फ़िज़ूल ख़र्च कर देंगे मगर ज़कात सद्क़ात के नाम पर उनकी दम निकल जाती है वैसे तो वो खुद को मालदार कहलवाना चाहते हैं लेकिन ज़कात सद्क़ात के नाम पर मानो वो ग़रीब हो जाते हों बेशक जो लोग साहिबे निसाब होने के बावुजूद पूरी ज़कात अदा नहीं करते तो वो याद रखें कि पूरी ज़कात अदा न करने पर अल्लाह तआ़ला अ़ज़ाब देगा और फ़िज़ूल ख़र्ची पर अल्लाह तआ़ला हिसाब लेगा और सज़ा देगा तो ऐसा माल किस काम का जो बाइसे हलाकत हो।

अक्सर लोग शादी वग़ैराह में दिखावा और वाहवाही के लिये लाखों रुपया फ़िज़ूल ख़र्च कर देते हैं तो ऐसे लोगों ने ग़रीबों के लिये बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है कि बेचारा ग़रीब मजदूर अपनी बेटियों की शादी कैसे करे और मुरव्वजा रस्मो रिवाज के इख़राजात के लिये रुपया कहाँ से लाये हालांकि जहेज़ व दीगर इख़राजात गुनाह नहीं हैं बशर्ते ज़ेरे शरअ़ई अहकाम व ऐअ़तिदाल

के दायरे व हद में तकमील पायें और अगर किसी को ज़्यादा माल ख़र्च करने का शौक़ हो तो वो उन कामों पर ख़र्च करे जिससे वो दुनिया व आख़िरत में फ़ायदा उठाये और बेहतर अज्र पाये मसलन जिसने माल अ़ता किया है उसकी राह में ख़र्च करें गुरबा मसाकीन और मुहताज को दें और ज़रुरत मंद रिश्तेदारों को दें और दीन को फ़रोग़ देने में ख़र्च करें ग़रज़ ये कि किसी भी कारे ख़ैर में ख़र्च करें ताकि बेहतर जज़ा पायें इसराफ़ (फ़िज़ूल ख़र्ची) से सिवाए नुक़सान के किसी क़िस्म का कोई फ़ायदा नहीं मिलता सिर्फ़ कुछ वक़्त की ताअ़रीफ़ और वाहवाही के लिये अपने माल को ज़ाए न करें।

बड़े तअ़ाज्जुब की बात है कि लोग अपनी आख़िरत के अन्जाम से बेख़ौफ़ और बे पर‘वाह होकर अल्लाह तअ़ाला और उसके रसूल की ना फ़रमानी करते हुये ख़िलाफ़े शरअ़ कामों को करते हैं मानो उनके दिलों में न क़ब्र के अ़ज़ाब डर है और न ही दोज़ख़ के अ़ज़ाब का ख़ौफ़ और इस पर मज़ीद ये कि वो ख़िलाफ़े शरअ़ कामों को करके नादिम होने के बजाए वो खुशियों और इन्तिहाई मसर्रतों का इज़्हार करते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत अ़ज़ीम नेकी का काम किया हो और वो इस बात पर कभी ग़ौर नहीं करते कि हमारे इस काम से हम भी खुश हमारे ख़ानदान वाले और रिश्तेदार भी खुश लेकिन क्या अल्लाह तअ़ाला व उसके रसूल भी खुश हैं या नहीं या सख़्त नाराज़ हैं इस बारे में वो क़तई नहीं सोचते क्या अल्लाह तअ़ाला व उसके रसूल को नाराज़ करके उनका खुश होना क्या सहीह व दुरस्त है बल्कि उनके हक़ में निहायत बुरा और क़ाबिले मज़म्मत और बाइसे हलाकत है जबकि हर मुसलमान पर वाजिब है कि जिस काम से अल्लाह तअ़ाला व उसके रसूल खुश

व राज़ी हों सिर्फ़ वो ही काम करें और उसी पर ख़ुशी का मुज़ाहरा करें और जिस काम से अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल नाराज़ हों तो उस काम को मुत्लक़न तर्क करदें और हर हाल में अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें ताकि अल्लाह तआ़ला हमें हर क़िस्म के मसाइबो आलाम और आफ़ात और आख़िरत के सख़्त अ़ज़ाब से महफ़ूज़ और अपनी अमान में रखे।

बाअ़ज़ लोग ऐसे भी हैं जो शादी ब्याह व दीगर तक़रीबों में लाखों रुपया बेजा ख़र्च कर देते हैं लेकिन अगर कोई ग़रीब मिस्कीन उनकी तक़रीब में खाना माँगे तो वो उस मंगता को झिड़क कर भगा देते हैं हालांकि वो ग़रीब मिस्कीन तो उससे अपना हक़ माँग रहा था क्योंकि इस्लाम में हर मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के मुख़्तलिफ़ हुकूक़ मुक़र्रर किये गये हैं और मालदार पर ग़रीबों व मिस्कीनों के हुकूक़ में ये भी है कि वो अपनी हाजात याअ़नी खाना कपड़ा और रुपया पैसा वग़ैराह मालदार से माँगने का उसे हक़ है जबकि शादी ब्याह और दीगर तक़रीबों में लाखों रुपया फ़िज़ूल ख़र्च कर दिया जाता है मगर ग़रीब मिस्कीन को दो रोटी देने में उन्हें बड़ी दिक्क्त होती है जबकि जो माल फ़िज़ूल ख़र्च किया जाता है उसका कोई अज्र व सवाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह के इरतिकाब की सज़ा मिलने का इमकान ज़रुर होता है लेकिन ग़रीब मिस्कीन और मोहताज को दिये गया खाना वग़ैराह का अज्र अल्लाह तआ़ला कई गुना बढ़ाकर अ़ता फ़रमाता है और ग़रीब मिस्कीन व मोहताज को जो हम खाना वग़ैराह देते हैं तो वो हमारे हक़ में दुआ़ए ख़ैर करते हैं जो हमारे लिये ख़ैरो बरकत का बाइस बनती है तो हमें चाहिये कि अपनी तक़रीबों में ग़रीब मिस्कीन के लिये भी कुछ खाने का इहतिमाम

करें ताकि कोई माँगने वाला मायूस होकर न लौटे हम किसी ग़रीब मिस्कीन को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह तअ़ाला खुश व राज़ी होता है कि उसने मेरे ग़रीब बन्दे को खाना खिलाया और उसका अज्रो सवाब भी अ़ता फ़रमाता है हज़रत मौला अ़ली (अ़लैहिस्सलाम) फ़रमाते हैं कि माँगने वाला मिस्कीन अल्लाह तअ़ाला की तरफ़ से भेजा हुआ होता है पस जो शख़्स उसे कुछ देता है तो गोया वो अल्लाह को देता है और बेशक आदमी ने जो माल राहे खुदा में ख़र्च कर दिया वो उससे मिलने वाला है जो माल वो छोड़कर मरा उस पर वो नादिम व पशेमान होगा।

इरशादे बारी तअ़ाला हैः-
और (अपने दर के) किसी माँगने वाले को न झिड़कें और अपने रब की नेअ़मतों को (खूब) तज़किरा करें। (सूरह-दुहा-93/10)

इरशादे बारी तअ़ाला हैः-
(साइल से) नरमी के साथ गुफ़्तगू करना और दरगुज़र करना उस सद्क़े से बेहतर है कि जिसके बाअ़द (उस की) दिल आज़ारी हो और अल्लाह तअ़ाला बेनियाज़ है बड़ा हिल्म वाला है। (सूरह-बक़राह-2/263)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़िअल्लाहु तअ़ाला अ़न्हुमा) से मर'वी है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो शख़्स अल्लाह के वास्ते पनाह माँगे उसे अमान दो और जो शख़्स अल्लाह के नाम से सुवाल करे उसको ज़रुर दो और जो शख़्स तुम्हारी दाअ़वत करे तो उसकी दाअ़वत को कुबूल करो और जो तुम्हारे साथ एहसान करे तो-

उसका बदला दो अगर बदला देने के लिये कोई चीज़ न पाओ तो उसके हक़ में दुआ करो यहाँ तक कि तुम समझ लो कि उसके एहसान का बदला दे दिया है।
(अबू दाऊद–सुनन–2/328–ह०-1672)
(अबू दाऊद–सुनन–2/822–ह०-5109)
(नसाई–सुनन–2/168–ह०-2571)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो तुमसे अल्लाह के नाम से पनाह माँगे उसे पनाह दो और जो तुमसे अल्लाह के वास्ते से माँगे उसको कुछ न कुछ ज़रुर दो (अबू दाऊद–सुनन–2/821–ह०-5108)

➡ हज़रत इब्ने बुजैद अन्सारी (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि माँगने वाले को कुछ सद्क़ा देकर रुख़सत करो चाहे जला हुआ खुर ही क्यों न हो। (नसाई–सुनन–2/168–ह०-2569)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि अल्लाह तबारक व तआ़ला के नज़दीक सबसे बदतरीन शख़्स वो है कि जिससे अल्लाह तआ़ला का वास्ता देकर कुछ माँगा जाये और फिर भी वो न दे तो ऐसा शख़्स सबसे बदतरीन शख़्स है। (नसाई–सुनन–2/169–ह०-2573)

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) बयान करती हैं कि उन्होंने एक बकरी–

को ज़िब्हा किया तो हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने पूछा कि उसमें से कुछ बाक़ी है तो आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हा) ने कहा एक शाना बाक़ी है तो आप (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि उस शाना के सिवा सब बाक़ी है याअ़नी जो अल्लाह की राह में दे दिया वो बाक़ी है और जो अपने लिये रख लिया वो फ़ानी है। (तिर्मिज़ी–सुनन–2/282-ह०–2470)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि तेरा माल वो है जो नेक आअ़माल की सूरत में तूने आगे भेजा और जो माल तू अपने पीछे छोड़ेगा तो वो माल तेरा नहीं है बल्कि वो तेरे वारिसों का होगा।
(बुख़ारी–सहीह–6/54-ह०–6442)
(नसाई–सुनन–2/558-ह०–3646)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–6/331-ह०–7913)
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–4/585-ह०–6509)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जब मरने वाला मर जाता है तो फ़रिश्ते कहते हैं कि इसने आगे क्या भेजा और लोग कहते हैं कि इसने पीछे क्या छोड़ा।
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–7/292-ह०–10445)

अगर हम अल्लाह तआ़ाला और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक़ शादी के तमाम काम अन्जाम दें तो हम कई बुराइयों और गुनाहों के इरतिकाब से महफ़ूज़ रहेंगे

और फ़िज़ूल ख़र्ची न करने से अपने माल को भी ज़ाए होने से बचा लेंगे साथ ही अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की खुश्नूदी व रिज़ा पायेंगे जो हमारे लिये दुनिया व आख़िरत में नफ़अ़ बख़्श और कामयाबी व कामरानी का बाइस होगा और अगर हम अल्लाह तआ़ला व उस के रसूल की नाफ़रमानी करते हुये जो भी अ़मल करेंगे तो जान लो कि अ़नक़रीब अल्लाह तआ़ला बड़ा सख़्त हिसाब लेना वाला है और हमें हमारे हर गुनाह का पूरा पूरा बदला याअ़नी सख़्त अ़ज़ाब दिया जायेगा पस हमें चाहिये कि शादी ब्याह और दीगर तक़रीबों में कोई भी काम ख़िलाफ़े शरअ़ न करें और न ही फिजूल ख़र्ची करें और हुजूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) के सुन्नत तरीक़े और शरअ़ई अहकामात के मुताबिक़ तमाम कामों को अन्जाम दें ताकि निकाह में अल्लाह तआ़ला की रहमतों और बरकतों का नुजूल हो और अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल हमसे खुश व राज़ी हों और याद रखो जो ख़िलाफ़े शरअ़ काम सिर्फ़ शोहरत तलबी और लोगों को खुश करने के लिये किया जाता है तो लोग उसके काम से खुश तो हो जाते हैं लेकिन वो अल्लाह तआ़ला की रहमत और बरकत से महरुम हो जाता है और अल्लाह तआ़ला उस शख़्स से नाराज़ हो जाता है अब तुम्हारी मर्ज़ी चाहे तू लोगों को खुश व राज़ी कर या अपने रब को खुश व राज़ी कर

–: ख़र्च करने में एअ़तिदाल रखना :–

इरशादे बारी तआ़ला है:–

और ये वो लोग हैं कि जब ख़र्च करते हैं तो न बेजा उड़ाते हैं और न ही तंगी करते हैं और उनका ख़र्च–

करना (ज़्यादती और कमी) इन दो हदों के दरमियान एअ़तिदाल पर (मबनी) होता है। (सूरह-फ़ुरक़ान-25/67)

इरशादे बारी तआ़ला हैः-

और न अपना हाथ अपनी गर्दन से बाँधा हुआ रखो (कि किसी को कुछ न दो) और और न ही उसे सारा का सारा खोल दो (कि सब कुछ ही दे डालो) कि फिर तुम्हें मलामत ज़दा और थका हारा बनकर बैठना पड़े। (सूरह-बनी इसराईल-17/29)

इरशादे बारी तआ़ला हैः-

और साहिबे वुसअ़त को अपनी वुसअ़त (के लिहाज़) से ही ख़र्च करना चाहिये और जिस शख़्स पर उसका रिज़्क़ तंग कर दिया गया हो तो वो उसी में से ख़र्च करे। (सूरह-तलाक़-65/07)

हर अ़मल में मेयाना र'वी इख़्तियार करना पसन्दीदा और बहुत बेहतर है और इसराफ़ (फिजूल ख़र्ची) में कोई भलाई नहीं है बल्कि मज़मूम और ना पसन्दीदा है और हर वो काम जिसमें इन्सान हद से ताजावुज़ करे या बेहूदा व जाहिलाना रस्मो रिवाज और शोहरत तल्बी के लिये माल ख़र्च करना और बुराई व गुनाहों के काम में ख़र्च करना इसराफ़ है और इसराफ़ किसी भी चीज़ में हो मज़मूम व ना पसन्दीदा है और जिन कामों में जितना ख़र्च करने का हुक्म है वहाँ उतना ख़र्च करना और न हद से ज़्यादा और न हद से कम ख़र्च करना एअ़तिदाल और मेयाना र'वी है शादी ब्याह और दीगर तक़रीबात में बेजा ख़र्च करना और नुमूद व नुमायश करना इस्लाम में ममनूअ़ है इसलिये माल ख़र्च करने में एअ़तिदाल और मेयाना र'वी इख़्तियार करना चाहिये

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया खाओ, पिओ, पहनो और सद्क़ा करो बशर्ते ये कि उसमें इसराफ़ या तकब्बुर की आमेज़िश न हो।
(इब्ने माजा–सुनन–3/166–ह०-3605)
(मुस्नद अहमद–3/565–ह०-6695)

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया ये भी इसराफ़ (फिजूल ख़र्ची) में से है कि तेरा नफ़्स जिस चीज़ की ख़्वाहिश करे तू उसे खाले यानी तुम अपनी हर पसन्दीदा चीज़ खाओ ये भी इसराफ़ है। (इब्ने माजा–3/90–ह०-3352)
(अबू यअ़ाला–अल मुस्नद–2/618–ह०-2757)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन सरजिस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि नेक सीरत अच्छी ख़सलत व आहिस्तगी से हर काम करना और ऐअ़तिदाल व मेयाना र'वी नबूवत के चौबीस हिस्सों में से एक हिस्सा है। (तिर्मिज़ी–सुनन–1/1070–ह०-2010)

➡ हज़रत जाबिर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) एक शख़्स के पास से गुज़रे जो एक पत्थर की चट्टान पर नमाज़ पढ़ रहा था फिर आप मक्का की तरफ़ गये फिर जब वापस आये तो आपने देखा कि वो शख़्स उसी हाल पर नमाज़ पढ़ रहा था तो आपने फ़रमाया कि ऐ लोगो एअ़तिदाल और मेयाना

र‘वी को अपने ऊपर लाज़िम रखो इसलिये कि अल्लाह तआ़ाला अज्र देने से नहीं उकताता हत्ता कि तुम खुद ही अ़मल करने से उकता जाते हो।
(इब्ने माजा–सुनन–3/383–ह०-4241)
(अबू यआ़ला–अल मुस्नद–2/192–ह०-1790)
(मुस्लिम–सहीह–2/123–ह०-1834)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया तुममें से किसी शख़्स को उसका अ़मल निजात नहीं दिला सकेगा तो सहाबा किराम ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह आपको भी नहीं तो आपने फ़रमाया मुझे भी नहीं इल्ला ये कि मुझे मेरा रब अपनी रहमत के साये में ले लेगा लिहाज़ा दुरस्त अ़मल जारी रखो और तुम मेयाना र‘वी इख़्तियार करो सुबह व शाम और रात के कुछ हिस्से में अ़मल करो और एअ़तिदाल के साथ सफ़र जारी रखो इस तरह से तुम मन्ज़िले मक़सूद को पहुँच जाओगे।
(बुख़ारी–सहीह–6/66–ह०-6463)
(मुस्लिम–सहीह–5/322–ह०-7111)
(मुस्नद अहमद–4/888–ह०-10688)
(मिश्कात–2/60–ह०-2371)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि एअ़तिदाल और मेयाना र‘वी से चलने वाला कभी मोहताज और तंगदस्त नहीं होता। (मुस्नद अहमद–2/716–ह०-4269)

➡ हज़रत हुज़ैफ़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से मर‘वी

है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि दौलत मंदी में मेयाना र‘वी कितनी अच्छी है और तंगदस्ती में मेयाना र‘वी कितनी अच्छी है और इ़बादत में मेयाना र‘वी कितनी अच्छी है। (हेसमी–मजमउज़्ज़वाइद–10/319–ह०-17850)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि अपने दोस्त से एअ़तिदाल व तवस्सुत के साथ दोस्ती रखो शायद वो किसी दिन तुम्हारा दुश्मन हो जाये और अपने दुश्मन से एअ़तिदाल और तवस्सुत के साथ दुश्मनी रखो कि शायद वो किसी दिन तुम्हारा दोस्त हो जाये।
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/1065–ह०-1997)

➡ हज़रत जाबिर बिन अ़ब्दुल्लाह (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि ऐ लोगो अल्लाह से डरो और दुनिया की तलाश में एअ़तिदाल से काम लो इसलिये कि कोई शख़्स हरगिज़ न मरेगा यहाँ तक कि वो अपनी पूरी रोज़ी ले ले अगरचा वो रोज़ी उसके कुछ वक़्त बाअ़द मिले इसलिये अल्लाह से डरो और दुनिया की तलब में एअ़तिदाल से काम लो और हलाल हासिल करो और हराम छोड़ दो।
(इब्ने माजा–सुनन–2/129–ह०-2144)

➡ हज़रत तल्हा बिन उ़बैदुल्लाह (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जिसने मेयाना र‘वी इख़्तियार की तो अल्लाह तआ़ाला उसको ग़नी कर

देगा और जिसने फ़िज़ूल ख़र्ची की तो अल्लाह तआ़ला उसको तंगदस्त कर देगा और जिसने तवाज़ोअ़ की तो अल्लाह तआ़ला उसको सर बुलन्द कर देगा और जिस ने तकब्बुर किया तो अल्लाह तआ़ला उसको हलाक कर देगा। (हेसमी–मजमउज़्ज़वाइद–10/319–ह०-17851)

फ़िज़ूल ख़र्ची करने वालों को अल्लाह पसन्द नहीं करता

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और फ़िज़ूल खर्ची न किया करो बेशक वो फ़िज़ूल ख़र्च करने वालों को पसन्द नहीं करता।
(सूरह–अनआ़म–6/141)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और न ही हद से बढ़ो बेशक अल्लाह तआ़ला हद से बढ़ने वालों को पसन्द नहीं फ़रमाता (सू०–मायदा–5/87)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और खाओ व पियो और हद से ज़्यादा ख़र्च न करो कि बेशक वो फ़िज़ूल ख़र्ची करने वालों को पसन्द नहीं करता। (सूरह–आअ़राफ़–7/31)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला तीन चीज़ें पसन्द नहीं करता कि इधर उधर की फ़िज़ूल बातें करना और माल को ज़ाए करना और बा कसरत सुवाल करना। (मुस्लिम–सहीह–3/536–ह०-4481)
(बुख़ारी–सहीह–2/190–ह०-1477)

➡ रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि खाओ, पिओ, पहनो और सद्क़ा करो लेकिन इसराफ़ (फ़िज़ूल खर्ची) और फ़ख़्र व तकब्बुर न करो। (बुख़ारी–सहीह–5/493)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि तुम लोग खाओ पिओ और लिबास पहनो और सद्क़ा करते रहो मगर फ़िज़ूल ख़र्च और तकब्बुर न करो।
(नसाई–सुनन–2/165–ह०-2563)

–: महर अदा करना वाजिब है :–

इरशादे बारी तआ़ाला हैः–
और औ़रतों को उनके महर खुश दिली से अदा किया करो फिर अगर वो उस (महर) में से कुछ तुम्हारे लिये अपनी खुशी से छोड़ दें तब उसे (अपने लिये) साज़गार और खुश गवार समझ कर खाओ। (सूरह–निसा–4/04)

इरशादे बारी तआ़ाला हैः–
उन औ़रतों में से जिनसे तुमने (माल) के ऐ़वज़ फ़ायदा उठाया है उन्हें उनका मुक़र्रर शुदा महर अदा कर दो और तुम पर उस माल के बारे में कोई गुनाह नहीं कि जिस पर तुम महर मुक़र्रर करने के बाअ़द बाहम रज़ा मन्द हो जाओ बेशक अल्लाह तआ़ाला खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। (सूरह–निसा–4/24)

इरशादे बारी तआ़ाला हैः–
और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले तलाक़ देदी जबकि

तुम उनका महर मुक़र्रर कर चुके थे तो उसका महर जो तुमने मुक़र्रर किया था उसका निस्फ़ (आधा) देना ज़रुरी है सिवाए इसके कि वो खुद मुआ़फ़ करदें।
(सूरह–बक़राह–2/237)

इरशादे बारी तआ़ला है:–
आज तुम्हारे लिये पाकीज़ा चीज़ें हलाल कर दी गई हैं और उन लोगों का ज़बीहा भी जिन्हें (इल्हामी) किताब दी गई तुम्हारे लिये हलाल है और तुम्हारा ज़बीहा उन के लिये हलाल है व (इसी तरह) पाक दामन मुसलमान अ़ौरतें और उन लोगों में से पाक दामन अ़ौरतें जिन्हें तुम से पहले किताब दी गई थी तुम्हारे लिये हलाल हैं जबकि तुम उन्हें उनके महर अदा कर दो।
(सूरह–मायदा–5/05)

हक़ महर उस माली नफ़अ़ का नाम है कि जिसके ऐवज़ मर्द को अ़ौरत पर हक़्क़े ज़ोजियत हासिल होता है अल्लाह तआ़ला ने शादी शुदा मर्दों पर महर का अदा करना फ़र्ज किया है और ये अल्लाह तआ़ला की तरफ़ से अ़ौरतों के लिये अ़तिया है अ़ौरतों के ख़ाविन्दों पर ये वाजिब है कि वो महर को एक बोझ समझकर अदा न करें बल्कि फ़र्ज़ और अ़ौरत का शरअ़ई हक़ समझ कर खुश दिली से अदा करें और अ़ौरत को ज़बरदस्ती हक़ महर मुआ़फ़ करने के लिये मजबूर नहीं किया जा सकता हाँ अगर वो अपनी खुशी से थोड़ा या ज़्यादा मुआ़फ़ करना चाहे तो कर सकती है।

जहेज़ व दीगर अशिया माँगने वाले माँगने में कोई कसर नहीं छोड़ते लेकिन बात जब महर की आती है तो कम से कम महर बाँधने के लिये कहते हैं और उन

में से बाअ़ज़ ये भी कहते हैं कि शरीअ़त के मुताबिक़ महर बाँधो शादी की इब्तिदा से इख़्तिताम तक उन्हें शरअ़ई अहकाम याद नहीं आते और महर के नाम पर उन्हें शरीअ़त याद आ जाती है जबकि शादी के तमाम काम शरीअ़त के ख़िलाफ़ करते हैं तब उन्हें न शरीअ़त की याद आती है न अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल की याद आती है हालांकि उन्हें इस बात का इ़ल्म नहीं होता कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) की अज़्वाजे मुताह्रात का महर कितना था और अक्सर अज़्वाजे मुताह्रात का महर 500 पाँच सौ दिरहम था और एक रिवायत के मुताबिक़ एक दिरहम याअ़नी 2.975 ग्राम चाँदी है दूसरी रिवायत के मुताबिक़ एक दिरहम याअ़नी 3.618 ग्राम चाँदी है तो पाँच सौ दिरहम याअ़नी एक किलो पाँच सौ तीस ग्राम चाँदी हुई तो इस हिसाब से शरीअ़त के मुताबिक़ एक किलो पाँच सौ तीस ग्राम चाँदी की क़ीमत के बराबर महर होना चाहिये मगर इन्सान अपनी हैसियत के मुताबिक़ इससे कम या ज़्यादा महर मुक़र्रर कर सकता है शरीअ़त ने इसकी इ़जाज़त दी है और बाअ़ज़ अज़्वाजे मुताह्रात का महर 500 पाँच सौ दिरहम से कम था।

हज़रत उम्मे हबीबा (रज़ि०) का महर 4000 दिरहम था याअ़नी 14 किलो 472 ग्राम चाँदी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़ि०) का महर 40 दिरहम था हज़रत उम्मे सलमा (रज़ि०) का महर 10 दिरहम व दीगर अज़्वाजे मुताह्रात का महर 500 दिरहम था याअ़नी एक किलो आठ सौ नौ ग्राम चाँदी और हज़रत सय्यदा फ़ातिमा (सलामुल्लाह अ़लैहा) का महर 400 दिरहम था और हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) की दीगर साहिब ज़ादीयों का महर 480 दिरहम था।

➡ हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि उन्होंने कहा कि मैंने उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से अ़र्ज़ की कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) अपनी बीवियों का हक़ महर कितना रखते थे तो आपने फ़रमाया बारह ऊक़िया एक नश रखते थे फिर फ़रमाया कि क्या तुम जानते हो कि नश कितनी मिक़दार को कहते हैं मैंने अ़र्ज़ किया नहीं आपने फ़रमाया निस्फ़ ऊक़िया और ये कुल मिक़दार पाँच सौ दिरहम हैं और यही रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) की अज़वाज का महर है। (मुस्लिम–सहीह–3/61–ह०-3489)
(इब्ने माजा–सुनन–2/33–ह०-1886)
(अबू दाऊद–सुनन–2/612–ह०-2105)
(नसाई–सुनन–5/218–ह०-3349)

➡ हज़रत उ़र्वा बिन जुबैर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) हज़रत उम्मे हबीबा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से रिवायत करते हैं कि वो पहले हज़रत उ़बैदुल्लाह बिन जहश की ज़ोजियत में थी तो उनका सर ज़मीने हब्शा इन्तिक़ाल हो गया तो नजाशी बादशाह ने उनका निकाह हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) के साथ कर दिया और उन्होंने अपनी तरफ़ से चार हज़ार दिरहम उनको अदा किये फिर उन्हें शुरहबील (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) की माअ़य्यत में रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) की ख़िदमत में भेज दिया। (अबू दाऊद–सुनन–2/613–ह०-2107, 2108)

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुज़ूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व

आलिहि वसल्लम) ने उम्मुल मुमिनीन हज़रत सफ़िय्या रज़िअल्लाहु तअ़ाला अ़न्हा को आज़ाद किया और उन की आज़ादी को ही उनका हक़ महर क़रार दिया।
(बुख़ारी–सहीह–5/107–ह०-5086)
(मुस्लिम–सहीह–3/66–ह०-3498)
(इब्ने माजा–सुनन–2/56–ह०-1957, 1958)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/613–ह०-1115)
(अबू दाऊद–सुनन–2/574–ह०-2054)
(नसाई–सुनन–5/213–ह०-3344)

➡ अबू अ़ब्दुर्रहमान सुलमी बयान करते हैं कि हज़रत ऊ़मर बिन ख़त्ताब (रज़िअल्लाहु तअ़ाला अ़न्हु) ने कहा कि तुम लोग अ़ौरतों के महर ज़्यादा न रखो इस पर एक अ़ौरत ने कहा ऐ ऊ़मर आपको इस बात का हक़ हासिल नहीं है क्योंकि अल्लाह तअ़ाला ने ये इरशाद फ़रमाया है कि 'अगर तुम उन अ़ौरतो में से किसी को सोने का एक ढेर भी दे देते हो तो फिर तुम्हारे लिये ये बात जाइज़ नहीं है कि तुम उसमें से कुछ भी वापस लो' (सूरह–निसा–4/20) इस पर हज़रत ऊ़मर ने कहा कि एक अ़ौरत ने ऊ़मर के मुक़ाबले में दलील पेश की और वो ऊ़मर पर ग़ालिब आ गई।
(अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक–अल मुसन्नफ़–4/281–ह०-10420)

हक़ महर अदा न करने की नीयत रखने वाला बदकार है

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तअ़ाला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तअ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जिस शख़्स ने किसी अ़ौरत का महर मुक़र्रर किया और उसका इरादा महर

अदा करने का न था तो उस शख़्स ने उस औ़रत को धोका देकर उसकी शर्मगाह को हलाल कर लिया तो वो रोज़े क़ियामत अल्लाह तआ़ला से ज़ानी होने की हालत में मुलाक़ात करेगा और जिस शख़्स ने किसी से क़र्ज़ लिया और उसका इरादा क़र्ज़ अदा करने का न था तो वो क़ियामत के दिन अल्लाह तआ़ला से ख़ाइन व चोर होने की हलत में मुलाक़ात करेगा।
(मुस्नद अहमद–8/296–ह०-19140)
(तबरानी–मुअ़जम कबीर–5/348–ह०-7148, 7150)
(तबरानी–मुअ़जम औसत–1/904–ह०-1851)

–: महर की अक़साम :–

महर की उ़मूमन तीन क़िस्में हैं महर मुअ़ज्जल व महर मुअज्जल और महर मुत्लक़ और जो ख़ल्वते सहीहा से पहले निकाह के फ़ौरन बाअ़द अदा कर दिया जाये उसे महर मुअ़ज्जल कहते हैं दूसरी क़िस्म मुअज्जल याअ़नी किसी चीज़ की मुद्दत मुक़र्रर करना या मुहलत लेना कि जिसकी अदायगी के लिये फ़रीक़ैन के माबैन मियाद मुक़र्रर की गई हो मसलन एक साल दो साल वग़ैराह और महर मुत्लक़ याअ़नी ज़ौजैन की बाहमी रज़ा मन्दी से महर की अदायगी शौहर जब चाहे तब कर सकता है इसमें वक़्त की कोई क़ैद नहीं होती इसके अ़लावा और एक महर मिस्ल होता जो औ़रत या औ़रत के बाप की रिश्तेदार औ़रतों मसलन फूफ़ियों सगी बहनों और चचा ज़ाद बहनों वग़ैराह को दिया गया हो और एक महर शरअ़ई होता है याअ़नी जो शरीअ़ते मुहम्मदी (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) के मुताबिक़ मर्द की हैसियत देखकर मुक़र्रर किया जाये।

शादी के बाअ़द वलीमे का एहतिमाम करने की तर्ग़ीब

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने हज़रत अ़ब्दुर रहमान बिन औफ़ (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) के लिबास पर ज़र्द निशान देखा तो फ़रमाया कि ये क्या है उन्होंने जवाब दिया या रसूलल्लाह मैंने सोने की एक गुठली के वज़न पर एक औ़रत से शादी की है तो आपने फ़रमाया अल्लाह तआ़ला तुम्हें बरकत दे और तुम वलीमे का एहतिमाम करो ख़्वाह एक बकरी से करो।

(बुख़ारी–सहीह–5/49–ह०-5155, 51677, 6386)
(मुस्लिम–सहीह–3/62–ह०-3490)
(इब्ने माजा–सुनन–2/40–ह०-1907)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/602–ह०-1094)
(अबू दाऊद–सुनन–2/614–ह०-2109)
(नसाई–सुनन–5/235–ह०-3374)

–: सय्यदा ज़ैनब का वलीमा :–

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) का निकाह हज़रत ज़ैनब रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा से हुआ तो आपने मुझसे कहा कि जो मुसलमान तुमको मिले उसे बुला लाओ सो मैंने जो भी मिला उसे बुला लाया और वो लोग सब दाख़िल होने लगे और खाना खाते जाते थे और निकलते जाते थे फिर आपने अपना मुबारक हाथ खाने पर रखा और दुआ़ की और

पढ़ा उस खाने पर जो अल्लाह तआ़ला ने चाहा और मैंने भी जो मुझे मिला किसी को न छोड़ा बुला लाया और सबने खाया यहाँ तक कि सब सेर हो गये।
(मुस्लिम–सहीह–3/76–ह०-3508)
(बुख़ारी–सहीह–5/158–ह०-5168, 4794)

–: सय्यदा सफ़िय्या का वलीमा :–

➡हज़रत अनस रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु बयान करते हैं कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने मदीना और ख़ैबर के दरमियान तीन शब क़याम फ़रमाया इन्हीं रातों में हज़रत सफ़िय्या (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से आपका ज़िफ़ाफ़ हुआ यानी दुल्हन की दूल्हा के घर र'वानगी हुई और मैंने आपके वलीमे की मुसलमानों को दाअ़वत दी और उस वलीमे में गोस्त और रोटी न थी बल्कि आपने हज़रत बिलाल (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) को सिर्फ़ दस्तर ख़्वान बिछाने का हुक्म दिया चुनांचा जब दस्तर ख़्वान बिछा दिया गया तो उस पर खजूरें पनीर और घी और सत्तू रखा गया। (बुख़ारी–सहीह–4/320–ह०-4213)
(इब्ने माजा–सुनन–2/40–ह०-1909)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/601–ह०-1095)
(अबू दाऊद–सुनन–3/910–ह०-3744)
(मिश्कात–2/320–ह०-3214)

–: वलीमे का खाना हक़ व रिया :–

➡हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि पहले रोज़

वलीमे का खाना हक़ है दूसरे रोज़ वलीमे का खाना सुन्नत है और तीसरे रोज़ का खाना शोहरत व रिया (दिखावा) है और जो भी शख़्स दिखावा करता है तो अल्लाह तआ़ला रोज़े क़ियामत उसे रुसवा करेगा और जो शख़्स लोगों को दिखाने और सुनाने के लिये कोई काम करेगा तो अल्लाह तआ़ला उसके काम सुना देगा याअ़नी उसे कोई सवाब नहीं मिलेगा।
(इब्ने माजा–सुनन–2/42–ह०-1915)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/602–ह०-1097)
(अबू दाऊद–सुनन–4/910–ह०-3745)
(मिश्कात–2/322–ह०-3224)

–: वलीमे का बुरा खाना :–

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि बद तरीन खाना वलीमे का वो खाना है जिसमें मालदारों को दाअ़वत दी जाये और ग़रीबों मिस्कीनों और मोहताजों को छोड़ दिया जाये। (मुस्लिम–सहीह–3/79–ह०-3521)
(इब्ने माजा–सुनन–2/42–ह०-1913)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया वलीमे का वो खाना बदतर (बुरा) है कि जो उसमें आता है वो रोका जाता है और जो उसमें शमूलियत से इन्कार करता है उसे बुलाते फिरते हैं और जिस शख़्स ने दाअ़वत कुबूल न की तो उसने अल्लाह तआ़ला और उसके रसूल की ना फ़रमानी की। (मुस्लिम–सहीह–3/80–ह०-3525)

-: दाअ़वत में बुलाया जाये तो जाओ :-

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर'वी है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जब दाअ़वत में बुलाया जाये तो जाओ।
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/602–ह०-1098)

-: खड़े होकर खाना पीना ममनूअ़ है :-

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने खड़े होकर पानी वग़ैराह पीने से मनाअ़ फ़रमाया हज़रत क़तादा ने कहा हमने कहा कि खड़े होकर खाना कैसा है तो हज़रत अनस बिन मालिक ने कहा ये तो और ज़्यादा बुरा है।
(मुस्लिम–सहीह–5/250–ह०–5275)
(अबू दाऊद–सुनन–4/893–ह०–3717)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/1013–ह०-1879)

➡ हज़रत अबू सईद खुदरी (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने खड़े होकर पीने से मनाअ़ फ़रमाया।
(मुस्लिम–सहीह–5/251–ह०–5277)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/1013–ह०-1880)
(इब्ने माजा–सुनन–3/113–ह०-3424)
(इब्ने हिब्बान–सहीह–6/359–ह०-5321)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से

रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि तुम में से कोई (कुछ भी) खड़े होकर न पिये और जो भूले से पी ले तो कै़ कर डाले। (मुस्लिम–सहीह–5/251–ह०–5279)

ज़्यादा पाने की ग़रज़ से एहसान न करो

अक्सर शादी ब्याह व दीगर तक़ारीब में एक रि'वाज जो मुद्दतों से चला आ रहा है कि एक शख़्स लोगों का न्योता, व्यवहार (रुपया पैसा व गिफ्ट वगै़राह) को लिखता है और रुपया पैसा लिखवाने वालों में अक्सर लोगों की नीयत ये होती है कि हमने जितना रुपया लिखाया है उससे ज़्यादा हमें वापस मिलेगा जब हमारे यहाँ कोई तक़रीब या शादी वगै़राह होगी हालांकि इस नीयत से किसी की माली इमदाद या न्योता, व्यवहार (रुपया पैसा व गिफ्ट वगै़राह) देना नाजाइज़ है अल्लाह तआ़ला ने कुरान में इसकी सख़्त मुमानियत फ़रमाई है जब कोई हद्या व न्योता या फिर किसी और ज़राए से किसी पर एहसान करें तो उसमें ज़्यादा पाने की तलब या दुनियावी फ़वाइद हासिल होने की ग़रज़ शामिल न हो बल्कि मुसलमान की अ़ता और बख़्शिश व सख़ावत और हुस्ने सुलूक महज़ अल्लाह तआ़ला की खुशनूदी व रिज़ा हासिल करने की ग़रज़ से हो याअ़नी किसी पर एहसान इस नीयत से न करो कि जो कुछ उसे दिया है उससे ज़्यादा मिलेगा इस क़िस्म का एहसान शरअ़न नाजाइज़ और मज़मूम है।

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और ज़्यादा पाने की ग़रज़ से किसी पर एहसान न करें (सूरह–मुदस्सिर–74/6)

कौन सी औ़रतें हराम हैं व कौन सी औ़रतें हलाल हैं

इरशादे बारी तआ़ला हैः-

और उन औ़रतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा निकाह कर चुके हैं मगर जो (इस हुक्म से पहले) गुज़र चुका (वो मुआ़फ़ है) बेशक ये बड़ी बेहयाई और ग़ज़ब (का बाइस) है और बहुत बुरा तरीक़ा है (और) तुम पर (हराम हैं) तुम्हारी माँयें और तुम्हारी बेटियाँ और तुम्हारी बहनें और तुम्हारी फूफियाँ और तुम्हारी खालायें और भतीजियाँ और भानजीयाँ और तुम्हारी वो माँयें जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो व तुम्हारी रज़ाअ़त में शरीक बहनें और तुम्हारी बीवियों की माँयें (सब) हराम कर दी गई हैं और (इसी तरह) तुम्हारी गोद में पर'वरिश पाने वाली वो लड़कियाँ कि जो तुम्हारी उन औ़रतों (के बतन) से हैं जिनसे तुम सुहवत कर चुके हो (वो भी हराम हैं) फिर अगर तुमने उनसे सुहवत न की हो तो तुम पर (उन लड़कियों से निकाह करने में) कोई हर्ज नहीं और तुम्हारे उन बेटों की बीवियाँ (भी तुम पर हराम हैं) जो तुम्हारी पुश्त से हैं और ये (भी हराम है) कि तुम दो बहनों को एक साथ (निकाह में) जमाअ़ करो सिवाऐ इसके जो दौरे जाहलियत में गुज़र चुका है बेशक अल्लाह बड़ा बख़्शने वाला मेहरबान है और शौहर वाली औ़रतें (भी तुम पर हराम हैं) सिवाए उन (जंगी क़ैदियों औ़रतों) के जो तुम्हारी मिल्क में आ जायें (इन अहकामे हुरमत को) अल्लाह तआ़ला ने तुम पर फ़र्ज़ कर दिया है और इनके सिवा (सब औ़रतें) तुम्हारे लिये हलाल कर दी गई हैं ताकि तुम अपने अमवाल (हक़ महर) के ऐवज़ उनसे निकाह करो पाक

दामन रहने के लिये न कि बदकारी के लिये फिर उनमें से जिनसे उस (माल) के ऐवज़ फ़ायदा उठाया है उन्हें उनका मुक़र्रर शुदा महर अदा कर दो और तुम पर उस माल के बारे में कोई गुनाह नहीं है जिस पर तुम महर मुक़र्रर करने के बाद बाहम रज़ामन्द हो जाओ बेशक अल्लाह तआ़ला खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। (सूरह–निसा–4/22 ता 24)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

नापाक औ़रतें नापाक मर्दों के लिये (मख़सूस) हैं और पलीद मर्द पलीद औ़रतों के लिये हैं और (इसी तरह) पाक व तय्यब औ़रतें पाकीज़ा मर्दों के लिये (मख़सूस) हैं और पाक व तय्यब मर्द पाकीज़ा औ़रतें के लिये हैं। (सूरह–नूर–24/26)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

बदकार मर्द सिवाए बदकार औ़रत या मुश्रिक औ़रत के (किसी पाकीज़ा औ़रत से) निकाह (करना पसन्द) नहीं करता और बदकार औ़रत से भी सिवाए बदकार मर्द या मुश्रिक के कोई (सालेह शख़्स) निकाह (करना पसन्द) नहीं करता और ये (फ़ेअ़ले ज़िना) मुसलमानों पर हराम कर दिया गया है। (सूरह–नूर–24/03)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और तुम मुश्रिक औ़रतों से निकाह मत करो जब तक वो मुसलमान न हो जायें और बेशक मुसलमान लौंडी (आज़ाद) मुश्रिक औ़रत से बेहतर है ख़्वाह वो तुम्हें भली ही लगे और (मुसलमान औ़रतों का) मुश्रिक मर्दों से भी निकाह न करो जब तक कि वो मुसलमान न हो जायें और बेशक मुश्रिक मर्द से मोमिन गुलाम बेहतर

है ख़्वाह वो तुम्हें भला ही लगे। (सूरह–बक़राह–2/221)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

ऐ ईमान वालो जब तुम्हारे पास मोमिन अ़ौरतें हिजरत करके आयें तो उन्हें अच्छी तरह से जांच लिया करो (और) अल्लाह तआ़ला उनके ईमान (की हक़ीक़त) से खूब आगाह है फिर अगर तुम्हें उनके मोमिन होने का यक़ीन हो जाये तो उन्हें काफ़िरों की तरफ़ वापस न भेजो (और) न ये (मोमिनात) उन (काफ़िरों) के लिये हलाल हैं और न वो कुफ़्फ़ार इन (मोमिन अ़ौरतों) के लिये हलाल हैं और उन (काफ़िरों) ने जो (माल बसूरते महर इन पर) ख़र्च किया हो वो उनको अदा कर दो और तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं कि तुम उन से निकाह करलो जबकि तुम उन (अ़ौरतों) का महर उन्हें अदा कर दो और (ऐ मुसलमानों) तुम भी काफ़िर अ़ौरतों को (अपने) अ़क़्दे निकाह में न रोके रखो और तुम (कुफ़्फ़ार से) वो (माल) तलब करलो जो तुमने (उन अ़ौरतों पर बसूरते महर) ख़र्च किया था (कुफ़्फ़ार तुम से) वो (माल) मांग लेंगे जो उन्होंने (इन अ़ौरतों पर बसूरते महर) ख़र्च किया था यही अल्लाह तआ़ला का हुक्म है और वो तुम्हारे दरमियान फ़ैसला फ़रमां रहा है और अल्लाह तआ़ला खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। (सूरह–मुम्तहिना–60/10)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

और पाक दामन मुसलमान अ़ौरतें और उन लोगों में से पाक दामन अ़ौरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई थी (वो तुम्हारे लिये हलाल हैं) जबकि तुम उन्हें उनके महर अदा करदो बा शर्ते ये कि तुम उनसे बा क़ायदा निकाह करो ये नहीं कि तुम एअ़लानियाँ ज़िना करो या

पोशीदा बदकारी करो और जो शख़्स (अहकामे इलाही पर) ईमान लाने से इन्कार करे तो उसका सारा अ़मल बर्बाद हो गया और वो आख़िरत में भी नुक़सान उठाने वालों में से होगा। (सूरह–मायदा–05/05)

➡ उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) फ़रमाती हैं कि मैंने हुजूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) से अ़र्ज़ किया ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरी बहन से निकाह करलें तो आपने फ़रमाया कि वो मेरे लिये हलाल नहीं है।
(नसाई–सुनन–5/180–ह०-3289)

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया औ़रत और उसकी फूफी निकाह में (एक अ़क़्द में) जमाअ़ न किया जाये और न ही औ़रत और उसकी खाला को निकाह में जमाअ़ न किया जाये और बीवी के बाप की खाला को भी इसी दर्जे में रखा गया है और जो रिश्ते नसब की वजह से हराम होते हैं वो रजाअ़त की वजह से भी हराम होते हैं। (बुख़ारी–सहीह–5/122–ह०-5109)
(मुस्लिम–सहीह–3/43–ह०-3436)
(अबू दाऊद–सुनन–2/583–ह०-2066)
(नसाई–सुनन–5/181–ह०-3290)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) से हज़रत हम्ज़ाह (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) की बेटी के साथ निकाह करने का ज़िक्र किया गया तो आपने फ़रमाया कि बिला शुबा वो मेरे–

रज़ाई भाई की बेटी है और यक़ीनन रज़ाअ़त की बिना पर वो सब रिश्ते हराम हो जाते हैं जो नसब की बिना पर हराम हो जाते हैं। (नसाई–सुनन–5/188–ह०-3308)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) से एक शख़्स ने अ़र्ज़ की ऐ अल्लाह के रसूल मैं अ़नाक नामी ख़ातून से निकाह करना चाहता हूँ तो आपने ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमायी यहाँ तक कि ये आयत नाज़िल हुई ''ज़िनाकार औ़रत से वही शख़्स निकाह करता है कि जो खुद ज़िना करने वाला हो या मुशरिक हो'' (सूरह–नूर–24/03) (नसाई–सुनन–5/135–ह०-3230)

–: निकाहे मुत्अ़ा का बयान :–

निकाहे मुत्अ़ा एक आ़रज़ी क़िस्म की ज़ोजियत है कोई शख़्स किसी औ़रत से एक मुअ़य्यन (मुक़र्रर) वक़्त के लिये कुछ माल के ऐवज़ निकाह करे तो ऐसे निकाह को निकाहे मुत्अ़ा कहते हैं निकाहे मुत्अ़ा उस मुआ़हदे का नाम है जो औ़रत से जिन्सी इस्तिफ़ादे की ग़रज़ से मर्द और औ़रत के दरमियान एक मुअ़य्यन मुद्दत के लिये तय किया जाये निकाहे मुत्अ़ा शरअ़न नाजाइज़ व हराम है।

➡ हज़रत अबू नज़रा रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु बयान करते हैं कि हज़रत उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) जब ख़लीफ़ा हुये आपने फ़रमाया कि औ़रतों से दायमी तौर पर निकाह किया करो और अगर मेरे पास कोई ऐसा शख़्स लाया गया जिसने किसी औ़रत से किसी–

ख़ास मुक़र्रर मुद्दत तक के लिये निकाह किया होगा तो मैं उसे पत्थरों से रज्म करूँगा।
(मुस्लिम–सहीह–2/608–ह०-2947)

➡ रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि ऐ लोगो मैंने तुम्हें औ़रतों से निकाहे मुत्अ़ा करने की इजाज़त दी थी लेकिन अब अल्लाह तआ़ला ने इसको क़यामत तक के लिये हराम कर दिया है। (मुस्लिम–सहीह–03/38–ह०-3422, 3426)

दीनदार व अच्छे अख़लाक़ वाले शख़्स से निकाह करना

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जब तुम्हारे पास कोई ऐसा शख़्स निकाह का पैग़ाम भेजे जिसका ख़ुल्क़ और उसकी दीनदारी को तुम पसन्द करते हो तो उससे निकाह कर दो अगर ऐसा न करोगे तो ज़मीन में बड़ा फ़ित्ना व फ़साद पड़ेगा याअ़नी दीनदारी कम हो जायेगी और बेदीनी फैलेगी और एक रिवायत में इतना इज़ाफ़ा है कि अ़र्ज़ किया गया ऐ अल्लाह के रसूल अगर वो मुफ़लिस व नादार हो आपने फ़रमाया जब आये तुम्हारे पास कोई ऐसा शख़्स आये कि जिसका ख़ुल्क़ व उसकी दीनदारी को तुम पसन्द करते हो तो उससे निकाह कर दो और ये आपने तीन मर्तबा इरशाद फ़रमाया।
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/597–ह०-1084, 1085)
(इब्ने माजा–सुनन–2/61–ह०-1967)
(कंज़ुल उ़म्माल–8/539–ह०-44695)
(अ़ब्दुर्रज़्ज़ाक–अल मुसन्नफ़–4/254–ह०-10325)

बच्चा जब बालिग़ हो तो उसकी शादी मे ताख़ीर करना दुरस्त नहीं

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हुमा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जिसके यहाँ बच्चा पैदा हो तो उसे चाहिये कि वो उसका अच्छा नाम रखे और उसे अदब सिखाये और जब वो बालिग़ हो जाये तो उसकी शादी करदे अगर वो बालिग़ हो जाये और वो वालिद उसकी शादी न करे और वो किसी गुनाह ज़िना वग़ैराह का इरतिकाब करे तो उसका गुनाह उस के वालिद पर है। (मिश्कात–2/295–ह०-3138)
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–6/344–ह०-8666)

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि तौरात में लिखा हुआ है कि जिस शख़्स की बेटी बालिग़ हो जाये और वो उसकी शादी न करे और वो लड़की किसी गुनाह का इरतिकाब करे तो उसका गुनाह उसके वालिद पर है। (मिश्कात–2/295–ह०-3139)
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–6/344–ह०-8669)

निकाह के बाअ़द मिलने वाली बेमिसाल मुहब्बत

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हुमा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि दो मुहब्बत करने

वालों (में मुहब्बत बढ़ाने) के लिये निकाह जैसी कोई चीज़ नहीं देखी गई (इब्ने माजा–सुनन–2/17–ह०-1847)

निकाह को रसूलुल्लाह की सुन्नत का नमूना बनालो

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो शख़्स मुझसे मुहब्बत करता हो तो वो मेरी सुन्नत को नमूना बनाले और निकाह मेरी सुन्नत से है।
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–8/596–ह०-13451)
(कंज़ुल उ़म्माल–8/518–ह०-44413)

निकाह से पहले लड़के का लड़की को देखने का हुक्म

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) बयान करते हैं कि एक अंसारी ने एक औ़रत को निकाह का पैग़ाम दिया तो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने उससे पूछा कि क्या तुमने उस औ़रत को देखा है उसने कहा नहीं मैंने नहीं देखा है तो आपने उसको हुक्म दिया कि वो उसको देखले इस तरीक़े से तुम्हारे दरमियान मुहब्बत व उल्फ़त पैदा होना ज़्यादा मुम्किन है।
(इब्ने माजा–सुनन–2/24–ह०-1865)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/598–ह०-1087)
(अबू दाऊद–सुनन–2/594–ह०-2082)
(नसाई–सुनन–5/141–ह०-3236, 3237)
(तिर्मिज़ी–सुनन–2/141–ह०-2218)

निकाह एअ़लानियाँ करने और दफ़ बजाने का हुक्म

➡ हज़रत मुहम्मद बिन हातिब (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि निकाह में हलाल व हराम फ़र्क़ फ़क़त दफ़ बजाने और आवाज़ों का है याअ़नी हराम चोरी से होता है व हलाल शोहरत से होता है पस तुम निकाह को एअ़लानियाँ करो और उसमें दफ़ बजाओ। (इब्ने माजा–सुनन–2/36–ह०-1896)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/599–ह०-1088)
(नसाई–सुनन–5/236–ह०-3372)
(इब्ने अबी शैबा–5/599–ह०-1088)
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/342–ह०-14694)

➡उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया निकाह की तशहीर करो और निकाह को मस्जिदों में मुनअ़क़िद करो और उसमें दफ़ बजाओ।
(इब्ने माजा–सुनन–2/36–ह०-1895)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/599–ह०-1089)

➡ रुबई बिन्ते मुअ़व्विज़ (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) बयान करती हैं कि हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) मेरी शबे ज़िफ़ाफ़ की सुबह को मेरे पास तशरीफ़ लाये (ज़िफ़ाफ़–यानी दुल्हन की दूल्हा के घर र'वानगी) उस वक़्त हमारी लौडियाँ दफ़ बजाती थीं और मरसिया गाती थीं और हमारे बाप दादाओं में से

उन लोगों का तज़किरा कर रही थी जो जंगे बदर में शहीद हुये थे तभी उनमें से एक ये मिस्रा गाने लगी कि हमारे दमियान में नबी मौजूद हैं जो कल की बात जानते हैं तो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया इस बात को न बोलो बल्कि वही कहो जो पहले कह रहीं थीं।
(बुख़ारी–सहीह–4/191–ह०-4001, 5147)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/599–ह०-1090)
(अबू दाऊद–सुनन–6/709–ह०-4922)
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/339–ह०-14688)

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हा) से मर'वी है वो एक दुल्हन को अन्सारी दूल्हा के पास ले गईं तो हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि ऐ आयशा क्या तुम्हारे पास कोई लह्व का सामान नहीं है क्योंकि अन्सार ऐसे मौक़ेअ़ पर गाना और दफ़ बजाना पसन्द करते हैं। (बुख़ारी–सहीह–5/152–ह०-5162)
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/339–ह०-14687)
(इब्ने अबी शैबा–5/119–ह०-16658)

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया तुम निकाह का एअ़लान किया करो और निकाह मस्जिदों में किया करो और उस पर दफ़ बजाया करो और वलीमा किया करो चाहे एक बकरी का क्यों न हो और जब तुममें से कोई किसी औ़रत को निकाह का पैग़ाम दे और वो सियाह रंग वाला हो तो उस औ़रत को बता दे धोका न दे। (बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/339–ह०-14699)

➡ हज़रत मौला अ़ली (अ़लैहिस्सलाम) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) व आपके सहाबा बनू ज़ुरैक़ के पास से गुज़रे तो उन्होंने गाने व खेल की आवाज़ को सुना तो आप ने पूछा ये क्या है तो उन्होंने जवाबन कहा कि ये फुलां का निकाह है तो आपने फ़रमाया कि निकाह दीन को मुकम्मल करने वाला है न कि ज़िना को नीज़ फ़रमाया कि निकाह पोशीदा नहीं होता हत्ता कि दफ़ की आवाज़ सुनी जाये।
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/344–ह०-14700)

➡हज़रत इब्ने सीरीन फ़रमाते हैं कि हमें माअ़लूम हुआ है कि हज़रत ऊ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) जब कोई गाने बजाने की आवाज़ सुनते तो उसे बुरा क़रार देते अगर उनसे कहा जाता कि ये शादी या बच्चे की ख़त्ने की तक़रीब है तो आप कुछ नहीं कहते थे।
(इब्ने अबी शैबा–5/119–ह०-16659)
(बैहक़ी–सुनन कुबरा–9/343–ह०-14697)

➡बनू सलिमा के एक शेख़ फरमाते हैं कि हज़रत अबू क़तादा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) ने शादी के मौक़ेअ़ पर दफ़ बजाने वाली एक लड़की से कहा कि आगे बढ़ कर बजाओ आगे बढ़ कर बजाओ।
(इब्ने अबी शैबा–5/119–ह०-16660)

➡हज़रत अबू सलमा बिन अ़ब्दुर्रहमान बयान फ़रमाते हैं कि शादी की रात में ढोल बजाया गया और हज़रत अ़ब्दुर्रहमान बिन औ़फ़ (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) के पास गाना गाया गया।
(इब्ने अबी शैबा–5/119–ह०-16661)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन मसऊ़द (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) एक शादी में शरीक हुये जिसमें बांसुरीयाँ और गाने के आलात मौजूद थे आप बैठ गये और मनाअ़ नहीं फ़रमाया। (इब्ने अबी शैबा–5/120–ह०-16666)

➡ हज़रत इकरिमा फ़रमाते हैं कि हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) ने जब अपने बेटे के ख़त्ने किये तो खेल तमाशा करने वालों को बुलाया व उन्हें तीन दिराहम अ़ता किये।
(इब्ने अबी शैबा–5/120–ह०-16666)

–: पैग़ाम पर पैग़ाम भेजना ममनूअ़ है :–

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन उ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर'वी है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि तुममें से कोई शख़्स अपने मुसलमान भाई की बैअ़ पर बैअ़ न करे याअ़नी सौदे पर सौदा न करे और न ही अपने मुसलमान भाई के पैग़ाम पर पैग़ाम भेजे इल्ला ये कि वो उसे इजाज़त दे। (बुख़ारी–सहीह–5/143–ह०-5142)
(मुस्लिम–सहीह–3/234–ह०-3812)
(अबू दाऊद–सुनन–2/593–ह०-2081)
(नसाई–सुनन–5/147–ह०-3245)

तीन क़िस्म के लोगों की अल्लाह तआ़ला मदद फ़रमाता है

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने इरशाद फ़रमाया कि तीन क़िस्म

के लोगों की मदद अल्लाह तआ़ला ने अपने ज़िम्मे ली है एक अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला व दूसरा वो गुलाम जिसको उसके मालिक ने कुछ रक़म देकर उसको आज़ाद करने का कह दिया हो और वो गुलाम उस रक़म को अदा करना चाहता हो ताकि आज़ाद हो सके व तीसरा वो शख़्स जो निकाह करके पाक दामनी इख़्तियार करना चाहता हो।
(इब्ने माजा–सुनन–2/258–ह०-2518)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/910–ह०-1655)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/648–ह०-982)

–: दो बीवियों में इन्साफ़ करना :–

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जिस शख़्स की दो बीवियाँ हों और वो किसी एक की तरफ़ ज़्यादा माइल हो तो वो रोज़े क़यामत इस हाल में आयेगा कि उस के जिस्म का एक हिस्सा एक तरफ़ झुका हुआ होगा।
(नसाई–सुनन–5/254–ह०-3394)

–: दूल्हे का हल्दी लगाना जाइज़ है :–

➡ हज़रत अनस (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने हज़रत अ़ब्दुर रहमान बिन औफ़ (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) के लिबास पर ज़र्द निशान देखा तो फ़रमाया कि ये क्या है उन्होंने जवाब दिया या रसूलल्लाह मैंने सोने की एक गुठली के वज़न पर एक औ़रत से शादी की है तो आपने फ़रमाया अल्लाह

तआ़ला तुम्हें बरकत दे और तुम वलीमे का एहतिमाम करो ख़्वाह एक बकरी से करो।
(बुख़ारी–सहीह–5/49–ह०-5155, 51677, 6386)
(मुस्लिम–सहीह–3/62–ह०-3490)
(इब्ने माजा–सुनन–2/40–ह०-1907)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/602–ह०-1094)
(अबू दाऊद–सुनन–2/614–ह०-2109)
(नसाई–सुनन–5/235–ह०-3374)

ख़ल्वत में मर्द व औ़रत के साथ तीसरा शैतान होता है

➡ हज़रत उ़मर बिन ख़त्ताब रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से रिवायत है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि आदमी जब किसी अजनबी औ़रत के साथ ख़ल्वत इख़्तियार करता है तो उनका तीसरा शैतान होता है।
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/644–ह०-1171)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/646–ह०-982)

➡ हज़रत जाबिर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि बिला शुबा (फ़ित्ने में डालने के लिहाज़ से) औ़रत शैतान की सूरत में सामने आती है और शैतान की सूरत में मुड़कर वापस जाती है तो तुममें से जब कोई किसी औ़रत को देखे तो वो अपनी बीवी के पास जाये और वो अपनी ख़्वाहिश को पूरा करे और बिला शुबा उसकी बीवी उसकी ख़्वाहिश दूर कर देगी जो उसके दिल में पैदा हुई है और बिला शुबा उसका बीवी के पास जाना उसके नफ़्स में आने

वाले वसवसे और ख़्याल को निकाल देगा और उसकी बीवी के पास वही है जो उस औ़रत के पास है।
(मुस्लिम–सहीह–3/32–ह०-3407)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/638–ह०-1158)
(अबू दाऊद–सुनन–2/640–ह०-2151)
(इब्ने हिब्बान–सहीह–6/523–ह०-5572)

अजनबी औ़रतों से दूर रहना व औ़रतों का अपने देवर व जेठ से पर्दा करना

➡ हज़रत उ़क्बा बिन आमिर रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि खुद को अजनबी औ़रतों के पास जाने से दूर रखो एक अन्सारी शख़्स ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह देवर और जेठ के बारे में आपका क्या ख़याल है तो आपने फ़रमाया कि देवर तो मौत है। (बुख़ारी–सहीह–5/196–ह०-5232)
(मुस्लिम–सहीह–4/310–ह०-5674)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/644–ह०-1171)
(अत्तरग़ीब वत्तरहीब–1/646–ह०-981)

अय्यामे हैज़ में औ़रतों से अलग रहना

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और आपसे हैज़ (के अय्याम) की निसबत सुवाल करते हैं तो आप फ़रमांदें कि वो नजासत है सो तुम हैज़ के दिनों में औ़रतों से किनारा कश रहा करो और जब तक वो पाक न हो जायें उनके क़रीब न जाया करो और फिर जब वो खूब पाक हो जायें तो जिस रास्ते से अल्लाह तआ़ला ने तुम्हें इजाज़त दी है (उस रास्ते से)

उनके पास जाया करो यक़ीनन अल्लाह तआ़ला बहुत तौबा करने वालों से मुहब्बत करता है व खूब पाकीज़गी इख़्तियार करने वालों से मुहब्बत करता है।
(सूरह–बक़राह–2/222)

–: दुबर में मुबाशरत करना हराम है :–

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया मलऊ़न है वो शख़्स जो बीवी से दुबर में मुबाशरत करे।
(अबू दाऊद–सुनन–2/647–ह०-2162)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/642–ह०-1166)

➡ रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया औ़रतों के पीछे से यानी दुबर में सुहबत न करो कि अल्लाह तआ़ला सच्ची बात कहने से शर्माता नहीं। (तिर्मिज़ी–सुनन–1/641–ह०-1164)
(इब्ने माजा–सुनन–2/45–ह०-1924)

➡ हज़रत इब्ने अ़ब्बास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला उस मर्द को निगाहे रहमत से नहीं देखेगा जो किसी औ़रत या मर्द के पीछे से जिमाअ़ करे व एक रिवायत में है कि दुबर में जिमाअ़ करने व हैज़ में सुहवत करने से बचो। (इब्ने माजा–सुनन–2/45–ह०-1923)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/641–ह०-1165)
(मुस्नद अहमद–12/69–ह०-27136)
(तिर्मिज़ी–सुनन–2/596–ह०-2980)

–: मियाँ बीवी के हुकूक़ :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और दस्तूर के मुताबिक़ औ़रतों के मर्दों पर उसी तरह हुकूक़ हैं जैसे मर्दों के औ़रतों पर (हुकूक़ हैं) अलबत्ता मर्दों को उन पर फ़ज़ीलत है और अल्लाह तआ़ला बड़ा ग़ालिब बड़ी हिकमत वाला है। (सूरह–बक़राह–2/228)

➡ रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि औ़रतों की अच्छी तरह ख़ैर ख़्वाही करो और उन्हें तकलीफ़ न दो व आगाह रहो और तुम्हारा हक़ है तुम्हारी औ़रतों पर और तुम्हारी औ़रतों का हक़ तुम पर है पस तुम्हारा हक़ तुम्हारी औ़रतों पर ये है कि तुम्हारे बिछौनों पर बातचीत करने को ऐसों को न बिठायें कि जिनसे तुम राज़ी नहीं और घर में न आने दें उनको जिनसे तुम राज़ी नहीं आगाह हो और उनका हक़ तुम पर ये है कि तुम उनको नान व नफ़क़ा दो। (तिर्मिज़ी–सुनन–1/640–ह०-1163)

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) ने अ़र्ज़ किया या रसूलुल्लाह औ़रत पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है तो रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि उसके शौहर का फिर मैंने अ़र्ज़ की कि मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ किसका है तो हुजूर नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि उसकी माँ का (हाकिम–अल मुस्तदरक–5/774–ह०-7244, 7338)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला

अ़न्हु) से मर‘वी है कि नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया ऐ अ़ब्दुल्लाह मुझे तेरे मुताअ़ल्लिक़ ये ख़बर पहुँची है कि तुम दिन में रोज़े से होते हो और रात को नमाज़ में खड़े होते हो क्या ये सहीह है मैंने कहा जी हाँ आपने फ़रमाया ऐसा मत करो और तुम आराम भी किया करो यक़ीनन तुम्हारे जिस्म का तुम पर हक़ है तुम्हारी आँख का भी तुम पर हक़ है और तुम्हारी बीवी का भी तुम पर हक़ है। (बुख़ारी–सहीह–5/179–ह०-5199)
(मुस्लिम–सहीह–3/163–ह०-2743)
(अबू दाऊद–सुनन–2/841–ह०-2427)
(नसाई–सुनन–2/106–ह०-2401)

➡हज़रत हकीम बिन मुआ़विया कुशैरी अपने वालिद से बयान करते हैं कि मैंने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह हम पर बीवी के क्या हुकूक़ हैं हूजूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जब तू खाये तो उसे खिलाये जब तू पहने तो उसे पहनाये और तुम उसके चेहरे पर न मारो और उसे बुरा न बोलो और न ही उससे जुदा हो।
(अबू दाऊद–सुनन–2/636–ह०-2142)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–

मर्द औ़रतों के सरपरस्त और मुहाफ़िज़ हैं इसलिये कि अल्लाह तआ़ला ने एक को दूसरे पर फ़ज़ीलत बख़्शी है और इस वजह से (भी) कि मर्द (उन पर) अपना माल ख़र्च करते हैं पस नेक फ़रमांबरदार औ़रतें अपने शौहरों की ग़ैर मौजूदगी में अपनी इ़ज़्जत की हिफ़ाज़त करती हैं जिस तरह अल्लाह ने हिफ़ाज़त का हुक्म दिया और तुम्हें जिन औ़रतों की नाफ़रमानी व सरकशी का

अंदेशा हो तो उन्हें नसीहत करो और (अगर न समझें तो) उन्हें ख़्वाबगाहों में (खुद से) अ़लैहदा करदो (अगर फिर भी वो अपनी इस्लाह न करें तो) उनसे अ़ारज़ी तौर पर अलग हो जाओ फिर अगर वो (रज़ाए इलाही के लिये) तुम्हारी ताअ़बेदारी करने लगें तो तुम उनके ख़िलाफ़ कोई रास्ता तलाश न करो बेशक अल्लाह सब से बुलन्द सबसे बड़ा है। (सूरह–निसा–4/34)

बेहतर औ़रत वो जो अपने ख़ाविन्द की फ़रमां बरदार हो

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) से अ़र्ज़ किया गया कि बेहतरीन औ़रत कौन सी है तो आपने फ़रमाया कि वो औ़रत कि उसका ख़ाविन्द जब उसको देखे तो वो उसको खुश करदे और जिस वक़्त वो हुक्म दे तो उसकी इताअ़त करे और अपने नफ़्स व माल में उसकी मुख़ालिफ़त न करे जिसे वो नापसंद करता हो बल्कि उसकी राय के मुताबिक़ करे। (नसाई–सुनन–5/139–ह०-3233)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि दुनिया की बेहतरीन और ज़्यादा नफ़ाअ़ देने वाली शैः नेक औ़रत है। (इब्ने माजा–सुनन–2/21–ह०-1855, 1857)
(नसाई–सुनन–2/139–ह०-3234)

➡ हज़रत सूबान (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि जब ये आयत नाज़िल हुई ''जो लोग सोना और

चाँदी जमाअ़ करके रखते हैं और उसमें से राहे ख़ुदा में ख़र्च नहीं करते तो उन्हें दर्दनाक अ़ज़ाब की ख़बर सुनादें जिस दिन उस (सोना चाँदी व माल) को दोज़ख़ की आग में तपाया जायेगा और फिर उस तपे हुये माल से उनकी पेशानियाँ और उनके पहलू और उनकी पीठें दाग़ी जायेंगी (और उनसे कहा जायेगा) ये वही (माल) है जो तुमने अपनी जानों के लिये जमाअ़ किया था सो तुम (आज उस माल का) मज़ा चखो जिसे तुम जमाअ़ करते थे (सू०–तौबा–9/34,35)'' तो उस वक़्त हम हुज़ूर (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) के साथ सफ़र में थे तो सहाबा किराम (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम) ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह सोने और चांदी की मज़म्मत और उसका हाल हमें माअ़लूम हो गया लेकिन अगर हम जानते कि कौन सा माल बेहतर है तो हम उसी को जमाअ़ करते तो फिर आप (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि बेहतर माल ज़िक्र करने वाली ज़बान और शुक्र करने वाला दिल और नेक बीवी जो आदमी के ईमान व आख़िरत के कामों में मददगार हो यानी नेक बीवी की सुहबत के सबब आदमी में ताअ़त व इबादत का शौक बढ़े। (तिर्मिज़ी–2/971-ह०–3094)
(इब्ने माजा–सुनन–2/21–ह०-1856)
(कंजुल उ़म्माल–2/128-ह०–4312,4313)
(बैहक़ी–शुअ़बुल ईमान–4/89–ह०-4430)

शौहर की इताअ़त का अज्र जन्नत है

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत उम्मे सलमा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो औ़रत इस हाल में फ़ौत हुई कि उसका ख़ाविन्द उससे

राज़ी था तो वो जन्नत में दाख़िल होगी।
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/639–ह०-1161)
(इब्ने माजा–सुनन–2/20–ह०-1854)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–5/816–ह०-7328)
(तबरानी–मुअ़जम कबीर–23/421–ह०-8744)

➡ हज़रत अबू उमामा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि हुजूर सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम के पास एक औ़रत आयी उसके दो बच्चे थे तो आपने फ़रमाया कि ये औ़रतें बच्चों को पैदा करने वाली और उठाने वाली और अपने बच्चों पर रहम करने वाली हैं अगर ये अपने शौहरों को तकलीफ़ न पहुँचायें तो सब इ़बादत गुज़ार औ़रतें जन्नत में जायें।
(इब्ने माजा–सुनन–2/77–ह०-2013)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–5/817–ह०-7331, 7332)

शौहर की नाफ़रमानी करने वाली औ़रत का कोई अ़मल कुबूल नहीं

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि दो शख़्स ऐसे हैं कि उनकी इ़बादत उनके सर से ऊपर भी नहीं जाती 1- शौहर की नाफ़रमान बीवी 2- अपने आक़ा से भागने वाला गुलाम। (हाकिम–5/817–ह०-7330)

शौहर की नाशुक्री करने वाली पर अल्लाह निगाहे रहमत नहीं करता

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला

अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि अल्लाह तआ़ला उस औ़रत पर निगाहे रहमत नहीं करता जो अपने शौहर की शुक्र गुज़ार नहीं होती क्योंकि औ़रत शौहर के बग़ैर गुज़ारा नहीं कर सकती।
(हाकिम–अल मुस्तदरक–5/819–ह०-7335, 7336, 7337)

शौहर नाराज़ हो तो फ़रिश्ते बीवी पर लाअ़नत भेजते हैं

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जब औ़रत रात को अपने शौहर का बिस्तर छोड़कर (शौहर की नाराज़गी की हालत में) अलग रहती है तो फ़रिश्ते उस औ़रत पर सुबह तक लाअ़नत भेजते हैं।
(मुस्लिम–सहीह–4/59–ह०-3538)

➡ हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जब कोई औ़रत दुनिया में अपने ख़ाविन्द को तकलीफ़ पहुँचाती है तो जन्नत में उस शख़्स की हूरों में से जो उसकी बीवी होती है वो उस औ़रत से कहती है कि उसे न सताओ अल्लाह तआ़ला तुम्हारा सत्यानाश करे ये तो तुम्हारे पास चन्द दिनों का मेहमान है अ़नक़रीब ये तुमसे जुदा होकर हमारे पास आ जायेगा।
(इब्ने माजा–सुनन–2/77–ह०-2014)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/646–ह०-1174)
(मुस्नद अहमद–10/371–ह०-22452)

जन्नत में ग़रीबों की अक्सरियत दोज़ख़ में औ़रतों की अक्सरियत

➡ हज़रत उसामा बिन ज़ैद (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि वसल्लम) ने फ़रमाया मैं जन्नत के दर'वाज़े पर खड़ा हुआ तो देखा कि उसमें दाख़िल होने वालों में ग़रीबों की अक्सरियत थी और मालदार (जन्नत के दर'वाज़े पर हिसाब के लिये) रोक लिये गये थे और जहन्नम वालों को जहन्नम में जाने का हुक्म दे दिया गया था और मैं जहन्नम के दर'वाज़े पर खड़ा हुआ तो उसमें अक्सर औ़रतें थीं। (बुख़ारी–सहीह–5/176–ह०-5196)

–: बीवी पर शौहर को फ़ज़ीलत :–

➡ हज़रत मुआ़ज़ बिन जबल (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि सहाबा किराम (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुम) ने अ़र्ज़ किया या रसूलल्लाह मैंने ईसाइयों को अपने पादरी और मज़हबी रहनुमाओं के सानने सज्दा रेज़ होते हुये देखा है पस मेरे दिल में ख़्याल आता है कि उनसे ज़्यादा ताअ़ज़ीम के मुस्तहिक़ तो आप है तो क्या हम आपको सज्दा किया करें तो आप (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया अगर मैं किसी को किसी के सामने सज्दा करने का हुक्म देता तो औ़रत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सज्दा करे। (मुस्नद अहमद–10/330–ह०-22335)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–5/815–ह०-7325)

➡ हज़रत क़ैस बिन साअ़द (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु)

से मर‘वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया अगर मैं किसी को सज्दा करने का हुक्म देता तो औ़रत को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सज्दा करे क्योंकि अल्लाह तआ़ाला ने बीवी पर शौहर का बहुत हक़ रखा है।
(अबू दाऊद–सुनन–2/634–ह०-2140)
(तिर्मिज़ी–सुनन–1/639–ह०-1159)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–5/815–ह०-7326)

औ़रत अपने ख़ाविन्द का हक़ अदा नहीं कर सकती

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) से एक औ़रत ने अ़र्ज किया या रसूलुल्लाह आप मुझे बतायें कि बीवी पर शौहर के क्या हुकूक़ हैं आपने फ़रमाया कि बीवी पर शौहर के हुकूक़ में से ये भी है कि अगर शौहर के जिस्म से खून और पीप बह रहा हो और बीवी अपनी ज़बान से उसे चाट ले तब भी वो उसका हक़ अदा नहीं कर सकती।
(मुस्नद अहमद–10/362–ह०-22428)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–5/814–ह०-7324)

शौहर की इजाज़त के बग़ैर औ़रत निफ़िली रोज़ा न रखे

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ाला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ाला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि शौहर की मौजूदगी में औ़रत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर रोज़ा न–

रखे और उसके घर में उसकी मौजूदगी में किसी को- उसकी इजाज़त के बग़ैर न आने दे।
(मुस्लिम-सहीह-3/55-ह०-2370)
(अबू दाऊद-सुनन-2/860-ह०-2458)
(हाकिम-अल मुस्तदरक-5/817-ह०-7329)

शौहर की इजाज़त के बग़ैर ओ़रत का अ़तिया देना जाइज़ नहीं

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया किसी ओ़रत को अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर (शौहर के माल से) अ़तिया देना जाइज़ नहीं है। (मगर सद्क़ा ख़ैरात कर सकती है) (अबू दाऊद-सुनन-3/783-ह०-3547)

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हा) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया जब ओ़रत अपने शौहर के माल में से ख़ैरात करे तो दोंनों को बराबर अज्र मिलता है यानी शौहर व उसकी बीवी को और किसी के अज्र में कोई कमी नहीं होती शौहर को कमाई का अज्र और ओ़रत को माल ख़र्च करने का अज्र मिलेगा। (तिर्मिज़ी-सुनन-1/403-ह०-671] 672)

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अम्र (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जब कोई शख़्स किसी ओ़रत की अ़स्मत का मालिक हो (यानी ओ़रत उसके निकाह में आ जाये) तो उस ओ़रत के-

लिये अपने माल में भी ख़ाविन्द की इजाज़त के बग़ैर तसर्रुफ़ जाइज़ नहीं।
(अबू दाऊद–सुनन–3/783–ह०-3546)
(इब्ने माजा–सुनन–2/208–ह०-2388)

➡ हज़रत अबू उमामा बाहिली (रज़िअल्लाहु तआला अन्हु) से मर'वी है कि रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया औरत अपने शौहर की इजाज़त के बग़ैर किसी चीज़ को ख़र्च न करे अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह क्या खाना भी किसी को न दे तो आप (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि वो तो हमारे सब मालों से बेहतर है (तिर्मिज़ी–सुनन–1/403–ह०-670)

शौहर के ख़र्च न देने की सूरत में बीवी शौहर के माल से ले सकती है

➡ उम्मुल मुमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा (रज़िअल्लाहु तआला अन्हा) फ़रमाती हैं कि एक औरत रसूलुल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम) की ख़िदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया या रसूलल्लाह (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम) मेरा शौहर बहुत बख़ील है और मुझे उतना ख़र्च नहीं देता जो मुझको और मेरे बच्चों को काफी हो मगर मैं उसके माल में से ले लेती हूँ और मेरे शौहर को ख़बर नहीं होती तो हुजूर (सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि तू उसके माल में से दस्तूर के मुताबिक़ ले ले जितना तुझको और तेरे बच्चों को काफ़ी हो।
(मुस्लिम–सहीह–4/337–ह०-4477)
(अबू दाऊद–सुनन–4/774–ह०-3533)

-: तीन चीज़ों में नहूसत :-

➡ हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन ऊ़मर (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हुमा) से मर‘वी है नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया नहूसत सिर्फ़ तीन चीज़ों में हो सकती है औ़रत व घर और घोड़े में
(बुख़ारी–सहीह–5/476–ह०-5753, 5093, 5094, 5095,)
(अबू दाऊद–सुनन–4/69–ह०-3921, 3922)
(इब्ने माजा–सुनन–2/70–ह०-1993, 1994, 1995)
(नसाई–सुनन–5/424–ह०-3600)
(मिश्कात–2/281–ह०-3087)
(इमाम बुख़ारी–अल अदब अल मुफ़रद–1/418–ह०-942)

-: औ़रतो के साथ हुस्ने सुलूक :-

इरशादे बारी तआ़ला है:-
ऐ ईमान वालो तुम्हारे लिये ये हलाल नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती औ़रतों के वारिस बन जाओ और उन्हें इस ग़रज़ से न रोक रखो कि जो माल तुमने उन्हें दिया था उसमें से कुछ वापस ले जाओ सिवाए इसके कि वो खुली बदकारी की मुरतकिब हों और उनके साथ अच्छे तरीक़े से बरताव करो फिर अगर तुम उन्हें ना पसंद करते हो तो मुम्किन है कि तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और अल्लाह उसमें बहुत सी भलाई रख दे।
(सूरह–निसा–4/19)

इरशादे बारी तआ़ला है:-
फिर उनमें से जिनसे तुमने उस माल के ऐ़वज़ फ़ायदा उठाया है उन्हें उनका मुक़र्रर शुदा महर अदा कर दो–

और तुम पर उस माल के बारे में कोई गुनाह नहीं कि जिस पर तुम महर मुक़र्रर करने के बाअ़द बाहम रज़ा मन्द हो जाओ बेशक अल्लाह तआ़ला खूब जानने वाला बड़ी हिकमत वाला है। (सूरह–निसा–4/24)

इरशादे बारी तआ़ला है:–

तुम उन मुतल्लक़ा औ़रतों को वहीं पर रखो जहाँ तुम अपनी वुसअ़त मुताबिक़ रहते हो और उन्हें तकलीफ़ मत पहुँचाओ कि उन पर (रहने का ठिकाना) तंग कर दो और अगर वो हामला हों तो उन पर ख़र्च करते रहो यहाँ तक कि वो अपना बच्चा जन लें फिर अगर वो तुम्हारी ख़ातिर (बच्चे को) दूध पिलायें तो उन्हें उन का मुआ़वज़ा अदा करते रहो और आपस में (एक दूसरे से) नेक बात का मश्वरा (हस्बे दस्तूर) कर लिया करो और अगर तुम दुश्वारी महसूस करो तो उसे (कोई) दूसरी औ़रत दूध पिलायेगी साहिबे वुसअ़त को अपनी वुसअ़त (के लिहाज़) से ख़र्च करना चाहिये और जिस शख़्स पर उसका रिज़्क़ तंग कर दिया गया हो तो वो उसी (रोज़ी) में से (बतौर नफ़क़ा) ख़र्च करे जो उसे अल्लाह तआ़ला ने अ़ता फ़रमाई और अल्लाह तआ़ला किसी भी शख़्स को मुकल्लफ़ नहीं ठहराता मगर उसी क़दर जितना कि उसने उसे अ़ता कर रखा है अल्लाह तआ़ला अ़नक़रीब तंगी के बाअ़द कुशादगी पैदा फ़रमां देगा। (सूरह–तलाक़–65/06, 07)

इरशादे बारी तआ़ला है:–

और उन्हें उनके घरों से मत निकालो और न वो खुद बाहर निकलें सिवाए इसके कि वो खुली बेहयाई कर बैठें और अल्लाह तआ़ला की ये (मुक़र्रर) हदें हैं और जो शख़्स अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करे तो बेशक

उसने अपनी जान पर जुल्म किया है।
(सूरह–तलाक़–65/01)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और तलाक़ याफ़्ता औ़रतों को भी मुनासिब तरीक़े से ख़र्चा दिया जाये ये परहेज़गारों पर वाजिब है इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिये अपने अहकाम बाज़ेह फ़रमाता है ताकि तुम समझ सको। (सूरह–बक़राह–2/241, 242)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और अगर तुमने उन्हें छूने से पहले तलाक़ देदी जबकि तुम उनका महर मुक़र्रर कर चुके थे तो उस महर का जो तुमने मुक़र्रर किया था निस्फ़ देना ज़रुरी है सिवाए इसके कि वो (अपना हक़) खुद मुआ़फ़ कर दें या वो शौहर जिसके हाथ में निकाह की गिरह है मुआ़फ़ कर दे (यानी बजाए निस्फ़ के ज़्यादा या पूरा अदा कर दे) और (ऐ मर्दों) अगर तुम मुआ़फ़ करदो तो ये तक़वा के क़रीबतर है और आपस में एहसान करना न भूला करो बेशक अल्लाह तआ़ला तुम्हारे आअ़माल को खूब देखने वाला है। (सूरह–बक़राह–2/237)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
तलाक़ सिर्फ़ दो बार (तक) है फिर या तो (बीवी को) अच्छे तरीक़े से (ज़ोजियत में) रोक लेना है या भलाई के साथ छोड़ देना है और तुम्हारे लिये जाइज़ नहीं कि जो चीज़ें तुम उन्हें दे चुके हो उसमें से कुछ वापस लो सिवाए इसके कि दोंनों को अंदेशा हो कि (अब रिश्ता ज़ोजियत बरक़रार रखते हुये) दोंनों अल्लाह तआ़ला के हुदूद को क़ायम न रख सकेंगे सो ऐसी सूरत उन पर कोई गुनाह नहीं कि बीवी (खुद) कुछ बदला देकर (इस

तकलीफ देह बन्धन से वो) आज़ादी ले ले ये अल्लाह तआ़ला की (मुक़र्रर की हुई) हदें हैं तो तुम उनसे आगे न बढ़ो जो लोग अल्लाह तआ़ला की हुदूद से तजावुज़ करते हैं सो वही लोग ज़ालिम हैं।
(सूरह–बक़राह–2/229)

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और जब तुम औ़रतों को तलाक़ दो और वो अपनी इद्दत (पूरी होने) को आ पहुँचें तो उन्हें अच्छे तरीक़े से (अपनी ज़ोजियत में) रोक लो या उन्हें अच्छे तरीक़े से छोड़ दो और उन्हें महज़ तकलीफ़ देने के लिये न रोके रखो कि (उन पर) ज़्यादती करते रहो और जो कोई भी ऐसा करे तो उसने अपनी ही जान पर जुल्म किया है और अल्लाह तआ़ला के अहकाम को मज़ाक न बना लो और याद करो अल्लाह तआ़ला की उस नेअ़मत को याद करो जो तुम पर की गई है और उस किताब को जो उसने तुम पर नाज़िल फ़रमाई है और दानाई (की बातों) को (जिनकी उसने तुम्हें ताअ़लीम दी है) वो तुम्हें (उस अम्र की) नसीहत फ़रमाता है और अल्लाह से डरो और जान लो बेशक अल्लाह तआ़ला सब कुछ जानने वाला है। (सूरह–बक़राह–2/231)

औ़रतों के साथ अच्छे सुलूक की नसीहत

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि जो ईमान रखता हो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर तो जब वो अपनी बीवी में कोई नापसंदीदा मुआ़मला देखे तो उसे अच्छे सुलूक के साथ नसीहत करे और अच्छी तरह से

बात करे या ख़ामोश रहे क्योंकि औ़रत पसली से पैदा की गई है और पसलियों में सबसे ज्यादा टेढ़ उसके ऊपर वाले हिस्से में है अगर तुम उसे सीधा करने लग जाओ तो उसे तोड़ दोगे और अगर छोड़ दोगे तो वो टेढ़ी ही रहेगी तो तुम औ़रतों के साथ अच्छे सुलूक की नसीहत कुबूल करो व औ़रतों के साथ अच्छा बरताव करो और उनसे हुस्ने सुलूक से पेश आओ।
(बुख़ारी–सहीह–3/511–ह०-3331)
(मुस्लिम–सहीह–3/131–ह०-3644)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–5/818–ह०-7333, 7334)

सबसे बेहतर वो जो अपनी बीवी के हक़ में बेहतर है

➡ हज़रत अबू हुरैरा (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है कि नबी अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया कि सब मोमिनों में कामिल तर ईमान में वो हैं जिनके अख़लाक़ अच्छे हों और सबमें बेहतर वो हैं जो अपनी बीवियों के हक़ में बेहतर हैं। (तिर्मिज़ी–सुनन–1/640–ह०-1162)
(हाकिम–अल मुस्तदरक–5/818–ह०-7327)
(इब्ने हिब्बान–सहीह–1/599–ह०-479)

–: बीवी की अद्ना ख़िदमत पर अज्र :–

➡ हज़रत साअ़द बिन अबी वक़्क़ास (रज़िअल्लाहु तआ़ला अ़न्हु) से रिवायत है रसूले अकरम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) ने फ़रमाया तुम जो भी रज़ाए इलाही के लिये ख़र्च करोगे तो अल्लाह तआ़ला तुम्हें उसका अज्र देगा ख़्वाह तुमने अपनी बीवी के मुँह

में एक लुक़्मा ही क्यों न दिया हो।
(बुख़ारी–सहीह–1/112–ह०-56)
(मुस्लिम–सहीह–3/392–ह०-4209)
(इमाम बुख़ारी–अल अदब अल मुफ़रद–1/353–ह०-319)

–: मय्यत के तरके में औ़रतों का हक़ :–

इरशादे बारी तआ़ला हैः–
और औ़रतों के लिये माँ बाप और क़रीबी रिश्तेदारों के तरके में से हिस्सा है वो तरका थोड़ा हो या ज़्यादा (अल्लाह का) मुक़र्रर कर्दा हिस्सा है।
(सूरह–निसा–4/07)

पस हमें चाहिये कि हर काम को करने से पहले एक बार ज़रुर सोचें कि मेरे इस काम से क्या अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल खुश व राज़ी होंगे या नहीं और जब नतीजा ये पायें कि इस काम को करने से अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल खुश व राज़ी होंगे तो उस काम को शरअ़ई अहकाम के मुताबिक़ ज़रुर अन्जाम दें और जब नतीजा ये पायें कि इस काम को करने से अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल हमसे नाराज़ होंगे तो उस काम को हरगिज़ न करें यही हमारे लिये नफ़अ़ बख़्श और बाइसे ख़ैर है शादी ब्याह व दीगर तक़रीबों में शामिल तमाम ग़ैर शरअ़ई उमूर और ग़ैर मुस्लिमों के रस्मों व रिवाज को मुकम्मल तौर पर तर्क करदें मसलन बारात में लोगों का कसीर ताअ़दाद में शिर्कत करना नाच गाना व डी० जे० पर बेहूदा और फ़ुहश कलाम पर मबनी गानों का बजना आतिश बाज़ी और हद से ज़्यादा सज धज कर और बन संवर कर बेपर्दा औ़रतों का नुमायश करना और ग़ैर महरम मर्दों से औ़रतों का हंसी मज़ाक

और गुफ़्तगू जूता चुराई व दूल्हा भाती की रस्में और खड़े होकर जानवरों की तरह खाना पीना और मढ़े की फ़िजूल रस्में व दूल्हे का मेंहदी लगाना व सोना पहनना और खाने पीने की कई क़िस्मों की सूरत और शादी के दीगर कामों में निहायत फ़िजूल ख़र्ची करना वग़ैराह ये सब काम ख़िलाफ़े शरअ़ व ग़ैर मुस्लिमों के रस्मो रिवाज और जाहलियत व शैतानियत के काम हैं जो अल्लाह तआ़ला के ग़ज़ब और नाराज़गी का बाइस हैं और अल्लाह तआ़ला व उसके रसूल को नाराज़ करके कोई काम हमारे लिये बेहतर और बाइसे ख़ैर नहीं हो सकता इसलिये हमें चाहिये कि तमाम जाहिलाना उमूर तर्क करदें और उनसे बचने की हर मुम्किन कोशिश व तदाबीर करें और शोहरत व दिखावे के लिये कभी कोई काम न करें क्योंकि शोहरत व दिखावे के लिये किया गया हर काम इन्सान को ख़सारे के सिवा कुछ भी नहीं दे सकता सिर्फ़ कुछ वक़्त की ताअ़रीफ़ और वाहवाही के लिये खुद को मुसीबत और ख़सारे में न डालें और हमेशा फ़िजूल ख़र्ची के इरतिकाब से बचें अगर हम चाहतें हैं कि हमें अल्लाह तआ़ला की रिज़ा व खुशनूदी हासिल हो और अल्लाह तआ़ला का फ़ज़्ल और उसकी रहमत का हुसूल हो तो अहकामे शरीअ़त और सुन्नत के मुताबिक़ तमाम कामों को अन्जाम दें और हमेशा अपने तमाम कामों में अपने रब का फ़ज़्ल व उसकी रहमत और बरकत के तालिब और मुतलाशी रहें ताकि दुनिया व आख़िरत में हम कामयाब हों और बेहतरीन अज्रो सवाब के मुस्तहिक़ हो जायें अल्लाह तआ़ला हम तमाम मुसलमानों को अहकामे शरीअ़त और सुन्नत के मुताबिक़ तमाम आअ़माल करने की तौफ़ीक़ मरहम्त फ़रमाये। आमीन

★★★★★

अल्ह़म्दुलिल्लाहि रब्बिल आ़लमीन अल्लाह तआ़ला का लाख लाख शुक्र व एहसान है कि जिसके फ़ज़्लो करम व तौफ़ीक़ से और उसके हबीब नबी करीम (सल्लल्लाहु तआ़ला अ़लैहि व आलिहि वसल्लम) की इ़नायत और रहमो करम और अह्ले बैत अत्हार के फ़ैज़ व नज़रे करम व तमाम सहाबा किराम व जुमला औलियाकिराम के फ़ैज़े रुहानी व बरकात से इस फ़क़ीर ने इस किताब की तालीफ़ की है अल्लाह रब्बुल इ़ज़्ज़त ने मुझ हक़ीर सरापा तक़सीर से जो काम लिया है हक़ीक़तन मैं क़तई इसके क़ाबिल न था अल्लाह तआ़ला इस किताब को अपनी बारगाह में शरफ़े मक़बूलियत अ़ता फ़रमाये और क़यामत तक लोगों के लिये इस किताब को फ़ैज़ रसाँ रखे और मेरी ज़िन्दगी व आख़िरत ईमान बिल ख़ैर पर क़ायम रखे व तमाम उम्मते मुस्लिमा को हिदायत अ़ता फ़रमाये और अपनी व अपने हबीब और अहले बैत अत्हार व सालिहीन की मुहब्बत से दिलों को मुनव्वर और मुनज़्ज़ाह फ़रमाये और क़ल्ब व रुह को मुज़य्यन फ़रमायें और तमाम मुहिब्बाने अहले बैत की मग़फ़िरत फ़रमाये– **आमीन**

और इस किताब को बराये ईसाले सवाब मुअ़ल्लिफ़ के वालिदे गिरामी मरहूम जनाब ईद मुहम्मद वारसी साहब की रुह को अज्रे अ़ज़ीम अ़ता फ़रमाये व अपने हबीब के सद्क़े उनकी मग़फ़िरत फ़रमाये–**आमीन**

नोट– जो हज़रात अपने अ़ज़ीज़ो अक़ारिब या अपने वालिदैन के ईसाले सवाब या दीनी तबलीग़ या सवाब पाने की नीयत से इस किताब को छपवाकर लोगों में तक़सीम करना चाहते हैं वो बराहे रास्त हम से राब्ता क़ायम करें। 9897626182, 9045442223



डा० आज़म बेग क़ादरी
Mob-09897626182

ISBN 978-93-5773-042-6
9 789357 730426